

PARLIAMENTARY DEBATES

(Part II—Proceedings other than Questions and Answers)

OFFICIAL REPORT

4981

HOUSE OF THE PEOPLE

Friday, 24th April, 1953.

4982

The House met at a Quarter Past Eight of the Clock.

[Mr. SPEAKER in the Chair]

QUESTIONS AND ANSWERS

(See Part I)

9-1 A.M.

STATEMENT RE LABOUR DISPUTE AT HINDUSTHAN SHIPYARD, VISAKHAPATNAM

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): Sir, yesterday a question having been raised in this House about the Visakhapatnam Shipyard, you were good enough to suggest that this matter might be discussed informally. In accordance with your advice, I discussed this matter with some leaders of the Opposition, and thereafter with some of our senior officials connected with this Shipyard, and especially the Secretary of the Production Ministry and the Managing Director of the Hindusthan Shipyard Limited. And I sent the Managing Director of the Hindusthan Shipyard and the Secretary of the Production Ministry to see some of the leaders of the Opposition to explain to them the facts. As a result of these talks, a suggestion was made that in order to avoid hardship and delay in the settlement of the dispute, an independent mediator should be appointed, whose decision would be final and binding on both parties, and would not be subject to appeal. This would be presented as an agreed settlement before the Adjudicator appointed by the Madras Government. The Government understand that the labour union is agreeable to this procedure being adopted. If such a request is made to Government by the

94 P.S.D.

union, Government would consider this sympathetically in consultation with the Board of Directors.

ORPHANAGE BILL ✓

Mr. Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri M. L. Dwivedi on the 13th March 1953:

"That the Bill to provide for bringing up, maintenance and education of children who have lost their parents and have no other person to look after them in proper manner, be taken into consideration."

Shri S. V. Ramaswamy (Salem): I submit, Sir, that we may be allowed to introduce our Bills, before other work is taken up today.

Mr. Speaker: The hon. Member inquires whether the Bills to be introduced should be allowed to be introduced at this stage. That means he wants priority in the matter of introduction of Bills. This matter was considered more than three or four times during the last three or four years, and I have explained at length to the hon. Members that the matter is not so simple as it appears to be.

Undoubtedly, the introduction of a Bill takes hardly more than a minute. But the administrative difficulties and other complications in the case of Bills which the Members have tabled already have to be taken into consideration. Immediately a Bill is introduced, I believe, it becomes incumbent on the Government, Central as also the State Governments, to set their machinery in motion to examine the provisions of the Bill, to make suggestions, to call for opinions, and to do all that kind of thing. So, a Bill introduced practically sets in motion the entire administrative machinery throughout the land. And it will be a huge thing to ask them, in respect of 60 Bills or so, to undertake all that trouble, when we know the

[Mr. Speaker]

✓ way in which the private Bills stand a chance of being considered finally by the House, that 90 percent. of them will never be taken into consideration during the life of the present Parliament or any Parliament for the matter of that. And by the time the Parliament ends, all notices lapse. So all the trouble taken is wasted. If, however, any Bill really does contain any points which the Government feel are worth taking up for legislation, I have no doubt that Government will themselves introduce legislation on those lines, and then its passage will be ensured without any unnecessary loss of time and energy so far as the administration is concerned.

But though this is a major aspect, there is another aspect and that is with reference to the priorities which Members get *inter se*. Assuming that 60 bills or 40 bills or 25 bills—I am not concerned with the number at present—are introduced, then the automatic result is that in the next session ballot they will claim parity with the Bills that have already been tabled before.

✓ **Shri Nambiar** (Mayuram): We are agreed on that point.

Mr. Speaker: They may have agreed. But it is a question as to how the procedure of this House should be regulated. They may have agreed for the time being—for the present. But they will have to enter into competition, one against the other, and the Members who have secured priorities for their Bills stand a chance of losing them in the next ballot. Perhaps the Members who agreed have done so, I believe, with due deference to them, in ignorance of what will happen to their Bills. They may have assumed that they will continue to have the same priority as they enjoy today. For example, there is a Bill here, which comes next, by Mr. Pataskar, that "the right of divorce among all communities of Hindus in certain circumstances, be taken into consideration." This stands now immediately next to the present Bill. One cannot know whether at the next session when there is a ballot drawn, he will have the second place. But he should have some place within the first 15, and with the introduction of 25 new Bills today, he will have to take a chance as one among 40 and not one among 15. Therefore, I have considered this matter very carefully. And what is it that the Members gain by having a Bill introduced except the satisfaction....

✓ **Shri Nambiar:** Before you give your ruling, I would like to make a submission, Sir.

Mr. Speaker: I will consider the matter. I am prepared to hear the hon. Member. But let him hear me first. Members will get the satisfaction that they have introduced their Bills. Beyond that, I do not think anything further can be gained, though they may get publicity. But hardly any Member does it with the object of publicity; he does it with the object of furthering public interest. The only utility, so far as these Bills are concerned, to my mind, is to educate public opinion and to bring to the notice of the Government the Members' desires about the advisability of undertaking legislation on certain points, and that is served by notice of introduction of Bills. Therefore, personally—of course, as I said, I am entirely in the hands of the House; it is the House which has to regulate its procedure—I am not in favour of allowing these Bills to be introduced, practically for no advantage and for all disadvantage—both administratively as also as regards priorities amongst the Members themselves.

Shri Nambiar: Here is a petition addressed to you, Sir, signed by 17 M.P.s, which I wish to place before the House.....

Mr. Speaker: He may hand it over to me.

Shri Nambiar: I will read it out so that the House can know

✓ "We submit that the Private Members' Bills in our names may be permitted to be introduced today. Most of us have been trying to get leave for introduction on more than one occasion but it was refused under Rule 25 of the Rules of Procedure. In this connection, we have to add that no useful purpose is served if we are denied even the opportunity to introduce our Bills, leave alone the chance of discussing them under the present allotment of time for Private Members' business. As it stands today, we are unable to bring to the notice of the House and the people our wishes in respect of certain important matters of public interest. We are for introduction of the Bills, allotment of time for discussion of each Bill and to know the Government's reply in each case.

We request you, therefore to consider these aspects and accord your consent to introduce the Bills today and to proceed as suggested above."

We are for limitation of time, but we want to see that more and more Bills come in and go and we want to know the views of the Government on the other side. We would like to have some agreement as in the case of the Private Members' Resolutions, according to which more Resolutions are now coming; I hope the Rules Committee has agreed that half a day every Friday will be allotted for private Members' business. Otherwise, we here—private Members—have no practical incentive to do any work, and we have got many issues in which people are interested and which we wish to bring to the notice of the House as well as the people. And we get the feelings of the Government as well. We are not for any prolonged discussion of one Bill for days together, but we must have some opportunity to bring these matters before the House. Therefore, you may be pleased to consider this point.

Mr. Speaker: I shall consider the point undoubtedly, but it is more a matter for Members to agree amongst themselves as to how they will conduct the discussions. Supposing, for example, if Members come to an agreement that no Bill should take more than an hour—important Bills may go on for two days or three days or just two hours—then a larger amount of business can be put through. But that is a matter for agreement. Here what I am called upon to consider is the principle of allowing introduction of Bills; and to that, I have stated to the House the difficulties which I feel. If the hon. Members think that it does not matter, then, as I said, I am entirely in the hands of the House. At present, a proposal is there for the constitution of a Standing Committee on Private Members' Bills which is being considered, I think, by the Rules Committee, the object being to weed out and to make a selection. I have no idea as to exactly on what lines the Committee will decide, but there is some attempt being made there. Of course, hon. Members will get half a day every Friday under the new rules, but even then the question of time is there.

सरदार ए० ए० सहगल (बिलासपुर) :

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस हाउस के सामने अपना एक बिल इंडियन मेडिकल कौंसिल

के नाम पर दिया है, उसकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बिल के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने अपने पत्र के द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया है कि इस बिल के बहुत से क्लोज़ेज हैं जिन को वह मंजूर करते हैं। यदि आप इजाजत दें तो मैं वह पत्र आप के सामने पढ़ दूँ। उसके पश्चात् आप जो फैसला चाहे दें, यह आप की इच्छा पर है, कि मैं वह बिल यहां पेश कर सकता हूँ या नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब सरकार इस बात को मंजूर करती है कि वह इस बिल की बहुत सी बातों को मानने के लिये तैयार है तो मैं उसे पेश करूँ। मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे उसे पेश करने की इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस से बहस का समय कम हो जाता है और दूसरे बिलों को समय नहीं मिलता है। आप कहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार इस बिल को अवश्य स्वीकार कर लेगी। तब फिर प्राइवेट बिल की क्या जरूरत है? सरकार खुद इसके लिये बिल ला सकती है। एक आप के ही बिल के लिये मैं कैसे आशा दे सकता हूँ?

The matter is decided, so far as I am concerned and I do not propose to allow any further discussion on this, not even on individual Bills.

सरदार ए० ए० सहगल : यदि इस बिल के लिए माननीय मंत्री से यह आश्वासन मिल जाता है कि वह इस को फ्लोर आफ दी हाउस पर लाने के लिये तैयार हैं तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूँ।

Mr. Speaker: Order, order. I cannot allow any particular Bill to be taken up on the ground that the Minister has

[Mr. Speaker]

consented. I do not know whether she has consented and if so, to what extent, with what reservations. It is not proper that an impression should go round that the Minister consented to whatever the hon. Member has stated in the Bill. That is a matter for separate discussion. Otherwise, I shall have to call upon the hon. Minister also to explain and the time will be taken up only in respect of one Member's Bill which is, I think, hardly fair to the entire House. He has had his purpose served by mentioning it here.

Shri S. V. Ramaswamy: You were pleased to refer to the inconvenience to the Members and the Government by the introduction of these Bills. May I submit that this inconvenience is nothing when compared with the good that will come to the administration?

Mr. Speaker: I think we cannot enter into any argument. I have placed this aspect before the House. There is already a proposal to constitute a Standing Committee.

श्री पी० एम० राजभोज (शोलापुर)

—रक्षित—अनुसूचित जातियां अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना यह है कि यह लोकतंत्र का राज्य है और इस राज्य में अगर हम लोगों को एक दो या चार घंटे बोलने की इजाजत नहीं मिली तो कैसे काम हो सकता है और हमारे यहां आने से ही क्या फायदा ?

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं सबको इजाजत देने लगू तो साल में ३६५ दिन हाउस को बैठाना पड़ेगा और डिमाक्रेसी भी रह जायगी और राज्य भी रह जायगा और सब लोग बोलने में लग जायेंगे ।

Shri Nambiar: As a matter of procedure, Sir, I will formally move this Resolution.

Mr. Speaker: Not here. I will take that into consideration. I will refer it to the Rules Committee if the hon. Member creates difficulties and the whole time will be spent on the discussion of a question, which is irrelevant at present.

Shri S. N. Das (Darbhanga Central): Sir, I have given notice of an amendment to refer the Bill to a Select

Committee. I hope you will allow me to move the amendment.

Mr. Speaker: The amendment may be moved; he may speak later on.

Shri S. N. Das: I beg to move:

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Shrimati Uma Nehru, Shrimati Jayashri Raiji, Shri M. L. Dwivedi, Dr Ram Subhag Singh, Shri Satis Chandra Samanta, Prof. Diwan Chand Sharma, Shri Krishna Chandra, Pandit Lingaraj Misra, Shri Lalit Narayan Mishra, Sardar Hukum Singh, Shri Sarangadhar Das, Shri Birbal Singh, Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Ghamandi Lal Bansal, Shri S. Nijalingappa, Shri V. P. Nayar, Dr. Satyanarain Sinha, and the Mover with instructions to report by the last day of the first week of the next session."

Mr. Speaker: Have they been consulted?

Shri S. N. Das: Yes, Sir.

Shri Barrow (Nominated—Anglo-Indians): That is not so, Sir. The Independent Parliamentary Group was not consulted.

Mr. Speaker: Now, we will proceed. Amendment moved:

"That the Bill be referred to a Select Committee consisting of Shrimati Uma Nehru, Shrimati Jayashri Raiji, Shri M. L. Dwivedi, Dr. Ram Subhag Singh, Shri Satis Chandra Samanta, Prof. Diwan Chand Sharma, Shri Krishna Chandra, Pandit Lingaraj Misra, Shri Lalit Narayan Mishra, Sardar Hukum Singh, Shri Sarangadhar Das, Shri Birbal Singh, Pandit Thakur Das Bhargava, Shri Ghamandi Lal Bansal, Shri S. Nijalingappa, Shri V. P. Nayar, Dr. Satyanarain Sinha, and the Mover with instructions to report by the last day of the first week of the next session."

श्री रघुबीर सहाय (जिला एटा—उत्तर पूर्व व जिला बदायूं पूर्व): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिवस पर जब यह बिल उपस्थित हुआ था, मैंने अपना भाषण हिन्दी में शुरू किया था और मेरा विचार आज भी हिन्दी में ही अपने भाषण को जारी रखने का है ।

अध्यक्ष महोदय, जब कि यह बिल पेश हुआ था उस समय मैंने इस भवन के सामने यह बात कही थी कि मैं इसके उद्देश्य से बिल्कुल सहमत हूँ और यह बहुत ही अच्छे उद्देश्यों के साथ भवन के अन्दर उपस्थित किया गया है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि इस बिल को मंजूर करने में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं और उन कठिनाइयों के ऊपर भी इस भवन के सभी सदस्यों को पूरा-पूरा विचार करना होगा।

यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि आजकल हमारे मुल्क के अन्दर जो अनाथालय और यतीमखाने हैं उनकी हालत बहुत खराब है। बहुत से अनाथालय इस प्रकार के हैं कि जिनको जारी नहीं रखना चाहिए और जो बन्द हो जाने चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जिनमें दुरुस्ती की गुंजाइश है। उनके ऊपर निगरानी की जरूरत है और उनके बारे में ऐसे कायदे और क़ानून बनने चाहिए जिससे कि उनकी निगरानी ठीक-ठीक तरीके से की जा सके।

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

हमारे पास आजकल कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसी स्टेटिस्टिक्स नहीं है जिससे हम यह जान सकें कि हमारे मुल्क के अन्दर १२ बरस तक के कितने लड़के और लड़कियाँ हैं। जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनके माता-पिता में से एक नहीं है या जिनको सरकार की इमदाद की जरूरत है। ऐसे कोई हमारे पास आंकड़े नहीं हैं।

इस बिल के अन्दर एक क्लॉज़ रखा गया है कि सरकार इसके पास होने पर तमाम अनाथालयों को जो मुल्क के अन्दर इस वक्त मौजूद हैं अपने हाथ में ले ले और उनकी अपनी निगरानी में लेकर चलाना शुरू कर दे और उनका सारा खर्चा सरकार की तरफ से हो। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि इस सुझाव को मंजूर करने

में बड़ी-बड़ी दिक्कतों और बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या माननीय सदस्य जिन्होंने इस बिल को उपस्थित किया है और जो अभाग्यवश इस वक्त सदन में मौजूद नहीं मालूम पड़ते (आवाजें: हैं, हैं।) यह चाहते हैं कि तमाम अनाथालयों को सरकार लेकर ऐसी हालत कर दे जैसे कि जानवरों के पिंजरापोल होते हैं और क्या वह यह समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास ऐसे साधन मौजूद हैं और हमारे पास ऐसी सामग्री मौजूद है कि तमाम अनाथालयों को सरकार अपने हाथ में लेकर ठीक-ठीक व्यवस्था के साथ चला सकती है? मैं बहुत ही नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि यह सिफ़ारिश और यह सज़ेशन मुनासिब नहीं है। हमारे प्रान्त उत्तर प्रदेश में कई साल हुए इस समस्या को सुलझाने के लिए और इसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधवा-आश्रमों के बारे में और वहाँ के अनाथालयों के बारे में एक कमेटी मुक़रर की थी। और जैसा कि मैंने पिछली तारीख़ पर कहा था, मैं भी उस कमेटी का एक सदस्य था। मुझे इतिफ़ाक हुआ कि मैंने सिर्फ़ अपने प्रान्त के बड़े-बड़े शहरों में और छोटे-छोटे शहरों में जहाँ कि अनाथालय खुले हुए हैं वहाँ पर जाकर उनको देख, बल्कि मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं बम्बई, अहमदाबाद, पूना इत्यादि में जाकर वहाँ की हालत को भी देखूँ। और उन तमाम अनुभवों को जब कमेटी के सामने रखा गया तब उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें कीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि उन थोड़ी सी सिफ़ारिशों को जो उत्तर प्रदेश की कमेटी ने इस सम्बन्ध में की हैं भवन के सामने उपस्थित कर दूँ। चूँकि वह रिपोर्ट अंग्रेज़ी में है, इसलिए मैं इजाज़त चाहता हूँ कि उन सिफ़ारिशों को संक्षेप में अंग्रेज़ी में ही पढ़ दूँ। उन में एक सिफ़ारिश यह है :

[श्री रघुवीर सहाय]

"Every Orphanage and Widows' Home should be required to get itself registered. It will further be required to get recognition from the Provincial Board which would be set up at the headquarters of the Government to exercise control over these institutions."

अभी हाल में मालूम हुआ है कि ऐसा बोर्ड उत्तर प्रदेश की सरकार ने बना दिया है। उसी के साथ साथ इस सिफारिश में यह भी लिखा है :

"Those who fail to do so, that is to obtain recognition, will be officially banned."

दूसरी सिफारिश यह है :

"The Board will have power to recommend to Government the closing down of undesirable institutions."

"Thirdly, District Committees will be set up of Officers and non-officials to exercise control and general supervision over Orphanages and Widows' Homes."

Fourthly, model institutions to be set up;

Fourthly, model institutions to be given to enable the orphan to set up in some trade or profession on discharge from the institution; —(of course, this is meant only for model institutions).

Sixthly, philanthropic families may be persuaded to take orphans of their choice in their care, so that the orphans so selected may be brought up in a family atmosphere;

Lastly, the internal supervision in the case of orphanages—the section consisting of small children—should be in charge of women and only grownup boys should be placed in charge of men, and the superintendents should be educated persons of an unimpeachable character, who can be trusted to look after such institutions."

सक्षेप में इन सिफारिशों के मानी यह है कि जो संस्थाएं कि इस वक्त ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं और जिनके ठीक तरीके से काम करने की आगे कोई आशा भी नहीं है, उन को बन्द कर दिया जाय। दूसरी सिफारिश यह है कि जो संस्थाएँ ऐसी हैं कि

जो ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नये क़ानून और क़ायदे बनाये जाने पर जिनके ठीक काम करने की आशा है, उनको जारी रखा जाय। लेकिन उनके ऊपर निगरानी ठीक तरीके से की जाय। तीसरी यह है कि सरकार की तरफ से माडल इंस्टीट्यूशन्स बनाए जायें। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की कोई बात सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना मुनासिब होगा।

जहां तक कि रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है और सुपरबीज़न और कंट्रोल का ताल्लुक है, उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज़ पर प्लानिंग कमीशन ने भी विचार किया था और प्लानिंग कमीशन ने भी यही कहा था कि जो संस्थाएं आजकल अनाथों को अपने यहां रख रही हैं और उनकी निगरानी कर रही हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उन सब की निगरानी ठीक तरीके से सरकार को करनी चाहिये। प्लानिंग कमीशन ने, जिसने कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर काफी अच्छी तरह से विचार किया था, कहीं पर यह नहीं कहा कि ऐसी तमाम संस्थाएं जिनकी संख्या इस वक्त गवर्नमेंट के सामने नहीं है, और नु कोई ऐसे स्टैटिस्टिक्स इस वक्त तक हासिल किए गये हैं कि कितनी संस्थाएं इस वक्त हमारे देश में हर प्रान्त में चल रही हैं, वे सब ले ली जायें। इस सिलसिले में मैं भवन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इन संस्थाओं को ठीक से चलाने के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी और सबसे अधिक आवश्यक जो चीज़ है वह यह है कि उन संस्थाओं के चलाने वाले, उनके निरीक्षक और जो लोग उन संस्थाओं के अन्दर रखे जायें, उनमें उस विशेष काम को करने की योग्यता हो। उत्तर प्रदेश में जितनी भी संस्थाएं हम लोगों को देखने का इतिफाक़ हुआ, वहां पर यही चीज़ मालूम

हुई कि इन संस्थाओं के चलाने वाले ठीक नहीं हैं। न उन में चरित्र है, न उनमें कोई योग्यता है, न लगन है और न उनमें सेवा की भावना है कि ऐसी संस्थाओं को चला सकें। महज अपने फ़ायदे के लिए, खुदग़रजी के लिए, यतीमखाने और अनाथालय खोले हुए हैं जिन से कि बच्चों को भी धोखा देते हैं, पब्लिक को धोका देते हैं और देश के साथ बड़ा भारी, अन्याय करते हैं इन तमाम संस्थाओं को देखने के बाद यह मेरा विचार बिल्कुल मुस्तक़िल हो गया है कि इन संस्थाओं को पुरुष लोग, मर्द, अच्छी तरह से नहीं चला सकते। इनको अगर ठीक तरीक़े पर चलाया जा सकता है तो स्त्रियां ही चला सकती हैं। महाराष्ट्र और बम्बई में जहां पर कि हम को जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ, और जहां अच्छी हालत में इन संस्थाओं को हमने देखा, वहां हमने पाया कि योग्य और लगन वाली स्त्रियां इस काम को लिए हुये हैं और वे इसको कर रही हैं और उस में उनको बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक-आध दृष्टान्त रखना चाहता हूँ जहां पर कि स्त्रियों ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। मुझे अहमदाबाद में महिपतराम रूपराम अनाथालय में जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। हर प्रकार के वहां पर बच्चे थे, लड़कियां भी थीं लड़के भी थे। हमारे साथ यू० पी० के एक दूसरे सदस्य मौजूद थे और बम्बई प्रान्त के ऐजूकेशन विभाग के एक सरकारी अफसर थे, जबकि उस अनाथालय में हम लोग गये। काफ़ी अच्छी उसकी इमारत थी। काफ़ी अच्छा उस का इन्तजाम था। वहां पर एक लड़की की तरफ हम लोगों का ध्यान गया। मैं वहां की लेडी सुपरिंटेंडेंट से पूछा कि यह लड़की कौन है। उन्होंने उस लड़की को हम लोगों के

सामने बुलाया। उसका हमने नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम गोदावरी है। मैंने पूछा आपकी क्या अवस्था है, उसने कहा कि मेरी उम्र सोलह सत्रह वर्ष की है। जब पूछा कि तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम है, उसने कहा कि न मैं अपनी माता का नाम जानती हूँ, न अपने पिता का ही नाम जानती हूँ। मैंने पूछा कि आप किस जगह से आई हैं। उसने कहा कि मुझे अपना निवास स्थान भी नहीं मालूम। तो इससे मुझे हैरत हुई और मैं सोचने लगा कि यह लड़की सीताजी की तरह है, क्या यह मिट्टी के घड़े से पैदा हुई है।

Mr. Deputy-Speaker: There are a number of hon. Members who want to participate in the discussion. Speakers must, therefore, have an idea of the time.

श्री रघुबीर सहाय : I will be very brief. उसके बाद यह मालूम हुआ कि यह लड़की बहुत ही थोड़े दिनों की थी, जबकि वह इस आश्रम में रख दी गई थी। जब से बराबर उसी आश्रम में उसने शिक्षा पाई मुझे यह भी मालूम हुआ कि जिस दिन हम वहां गये थे उसके ३-४ दिन बाद ही उस की शादी वहां के एक विख्यात मजिस्ट्रेट के लड़के के साथ होने जा रही थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इसमें लड़की की तारीफ़ नहीं है, बल्कि उस लेडी सुपरिंटेंडेंट की तारीफ़ है। उस लेडी सुपरिंटेंडेंट का नाम सरोज पटेल है, यह उसकी तारीफ़ है कि उसने इस लगन से काम किया कि एक शीरखवार बच्ची को, जो कि पांच छः दिन की बच्ची थी, इस तरह तैयार करके सोलह सत्रह वर्ष में इस योग्य कर दिया कि उसकी शादी एक मजिस्ट्रेट के लड़के से हुई। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो अनाथालय हैं उन सब में इस प्रकार की योग्य स्त्रियां, जैसी कि

[श्री रघुवीर सहाय]

सरोज पटेल अहमदाबाद में हमको देखने को मिलीं, उसी प्रकार की स्त्रियां इन तमाम संस्थाओं को चलाने के लिए मिल सकें। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर हिन्दुस्तान में ऐसी हालत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ अगर मैं यह बात कहूँ कि जो चीज हमको महाराष्ट्र और बम्बई में देखने को मिली वह यहां पर नहीं है। यहां पर स्त्रियों में तालीम है, योग्यता है। लेकिन जहां पर कि योग्यता है और तालीम है, वहां पर सामाजिक सेवा करने की भावना कम है। हमारे यहां हर स्त्री जिसको कि कुछ ज्ञान पैदा होगा वह राजनीतिक क्षेत्र में आना पसन्द करेगी, वह एम० एल० ए० बनना पसन्द करेगी वह पार्लियामेंट का मेम्बर बनना पसन्द करेगी, वह लोकल बोर्डों में जाना पसन्द करेगी। लेकिन सरोज पटेल की तरह वह अपना जीवनदान दे कर समाज सेवा करना पसन्द नहीं करेगी। इस चीज को भी हम को ध्यान में रखना है और जैसा मैंने पहले कहा उन तमाम अनाथालयों को अपने हाथ में लेकर हमें उनको पिंजरापोल नहीं बनाना है। अपने अनाथालयों को हमें ऐसी योग्य स्त्रियों के हाथ में रखना है जोकि उन बच्चों की देखभाल करें और उन बच्चों को अच्छा नागरिक बनावें।

इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सवाल इंग्लैंड में भी बड़े विकट रूप में उस वक्त उपस्थित हुआ जबकि दूसरी लड़ाई खत्म हुई थी। बहुत बड़ी संस्था में वार आरफन्स, लड़ाई के अनाथ, पैदा हो गये और जब उनकी संख्या ज्यादा बड़ी तो इंग्लैंड वालों ने यह देखा कि किस तरीके पर इन अनाथों की शिक्षा का और इनकी देखभाल का इन्तजाम किया जाय। उस वक्त इंग्लैंड वालों ने यह नहीं किया कि एकदम जल्दी में आ कर पार्लियामेंट के अन्दर कोई बिल उपस्थित

कर दिया हो और वहां पर यह मांग की गई हो कि तमाम बच्चों को सरकार के हाथ में तुरन्त दे दिया जाय। उन्होंने कमेटियां मुकर्रर कीं, एक करटिस कमेटी मुकर्रर की और दूसरी एक केयर आऊ चिडइन कमेटी मुकर्रर की। उन्होंने इन तमाम मामलों पर जाकर तहकीकात की और काफी बड़ी और काम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पेश की।

इन दोनों कमेटियों की रिपोर्टों का नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड में सन् १९४८ में चिल्डरेन्स ऐक्ट बनाया गया जिसमें इस समस्या को हल करने की कोशिश की गयी। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में भी अब वह समय आ गया है, जब हम एक ऐसा कम्प्री-हेन्सिव चिल्डरेन्स ऐक्ट बनायें जोकि तमाम प्रान्तों और प्रदेशों के ऊपर लागू हो। मैं जानता हूँ कि हमारे कई एक ऐसे प्रान्त हैं जहां पर कि चिल्डरेन्स ऐक्ट मौजूद है; लेकिन इसके साथ साथ ऐसे प्रान्त भी हैं जहां पर चिल्डरेन्स ऐक्ट मौजूद नहीं है। इसलिए आल इंडिया लेबिल पर सेन्टर को एक कम्प्री-हेन्सिव ऐक्ट बनाना चाहिए, जो सब क्षेत्रों में समान रूप से लागू हो सके। इंग्लैंड में इन कमेटियों के बनाये जाने पर, इन रिपोर्टों के आने पर और चिल्डरेन्स ऐक्ट बन जाने पर एक नया तरीका जारी किया गया कि बच्चे उन इन्स्टीट्यूशन्स में जो सरकार की तरफ से चलते हैं और जो वहां के लोकल बोर्ड्स की तरफ से चलते हैं सिर्फ उन्हीं में न रखे जायें, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि बच्चे महज इन्स्टीट्यूशन्स में रहकर योग्य नागरिक नहीं बन सकते हैं, बल्कि वे बच्चे जिनके मां या बाप नहीं हैं या जिनके मां या बाप हैं लेकिन जो उनको ठीक तालीम और तरबियत नहीं दे सकते हैं, उनसे हटा कर वह ऐसे एडाप्टेड पेरेन्ट्स और फोस्टर पेरेन्ट्स के पास रखे जायें, जो उनकी देखभाल कर सकें

और जो उनको सही और उत्तम नागरिक बना सकें। हमें इस सवाल पर भी गौर करना पड़ेगा कि आया अब मौका आ गया है या नहीं कि अपने देश में भी इस प्रथा को जारी करें कि ऐसे अनाथ बच्चों को शहर और देहात में खास २ घरों में रखा जाये जहाँ पर उनकी देखभाल का भार उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर छोड़ दिया जाये। इंग्लैण्ड में ऐसा नहीं है कि एडाप्टेड और फ़ौस्टर पेरेन्ट्स के पास बच्चा छोड़कर उनकी फिर निगरानी बिल्कुल छोड़ दी जाती है, उनकी निगरानी सरकार बराबर करती रहती है, उनके लिए जो विशेष आफिसर्स नियुक्त किये जाते हैं, वह वक़्तन फ़वक़तन उनके पास जाते हैं और देखभाल करते हैं कि आया बच्चे ठीक प्रकार उन्नति कर रहे हैं और ठीक प्रकार बढ़ रहे हैं कि नहीं और जब कभी उन सरकारी अफ़सरों को इस बात का अन्देश हो जाता है कि बच्चा उन्नति नहीं कर रहा है, तो वे उनको फ़ौस्टर और एडाप्टेड पेरेन्ट्स के पास से हटा लेते हैं। बाज़ दफ़ा उनको सजायें भी दी जाती हैं और उनसे एक इस प्रकार का इक़रारनामा लिखाया जाता है कि वह किस तरीक़े पर उन बच्चों को तालीम और तरबियत देंगे। तो मैं यह समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करते समय हमको इस बात पर भी सोचना पड़ेगा कि हम सरकारी संस्थाओं को ज़रूर बनायें, उनमें योग्य स्त्रियों और काम करने वालों को ज़रूर रखें, लेकिन इसके साथ २ क्या हम इस तरीक़े को भी अपने देश में जारी कर सकते हैं या नहीं कि एडाप्टेड और फ़ौस्टर पेरेन्ट्स का तरीक़ा यहाँ पर शुरू किया जाये। मैंने जैसा कि शुरू में कहा, मैं इस बिल के उद्देश्य से पूरा पूरा सहमत हूँ। लेकिन उसको मंज़ूर करने से पहले मैं एक संशोधन इसमें ज़रूर उपस्थित करूँगा, एक सुझाव अवश्य दूँगा कि सरकार अपनी तरफ़ से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर.....

The Minister of Law and Minority Affairs (Shri Biswas): May I inform my hon. friend that a Children's Bill is under the active consideration of Government and will be introduced shortly.

श्री रघुबीर सहाय : मैं यही चाहता था कि सरकार अपनी तरफ से इस किस्म का बिल लाये। उसी के साथ २ मैं यह चाहता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी उसे लाये। लेकिन लाने से पहले मंत्री महोदय की सेवा में मेरा एक सुझाव और भी है और वह यह है कि एक ऐसी फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी वह मुक़रर करे जो देश के तमाम हिस्सों में जाकर वहाँ से तमाम मैटीरियल इक़ट्ठा करे कि कितने बच्चे आज हमारे मुल्क में ऐसे हैं कि जो बारह वर्ष की अवस्था के हैं और जिनके माता-पिता नहीं हैं या जो ऐसे हैं कि जिनके माता पिता तो हैं, लेकिन उनकी निगरानी करने की ज़रूरत है। मैं पहले कह चुका हूँ कि इस प्रकार के हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं और जब तक वह चीज़ आपके सामने नहीं होगी, उस वक़्त तक आप यह नहीं कह सकते कि हमको कितनी सरकारी संस्थाएँ खोलनी चाहिए और कितनी गैर सरकारी संस्थाओं को हमको अपने कंट्रोल में लाना है, कितने बच्चे फ़ोस्टर पेरेन्ट्स और एडाप्टेड पेरेन्ट्स के पास रक्खे जा सकते हैं। हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा कि जिन संस्थाओं को हम अपने हाथ में लेंगे उनका कंट्रोल, उनका सुपरविज़न और उनकी निगरानी कौन करेगा। क्या जो आजकल मैटीरियल है, जो आजकल के काम करने वाले हैं, उनके सुपुर्द कर दिया जायगा या महज़ सरकारी आदमी संस्थाओं को चलावेंगे? आपको वह मैटीरियल प्राप्त करना पड़ेगा। इस समय आप के बड़े २ प्राजेक्ट्स चल रहे हैं और बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं। उस सम्बन्ध में हमारे प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मंत्री महोदय कहते हैं कि हमको उपयुक्त

[श्री रघुवीर सहाय]

पर्सनल नहीं मिलता, जरूरी मैटीरियल नहीं मिलता और उसके लिए हमको बाहर से ऐड मंगानी पड़ती है। उसी तरह आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास आज इन संस्थाओं को चलाने के लिए मैटीरियल है या नहीं। अगर नहीं है, तो उसके लिए आपको अपने यहां एक ट्रेनिंग ग्राउन्ड पैदा करनी पड़ेगी और उसके लिए साधन पैदा करने और जुटाने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि इन तमाम प्रश्नों पर हम अच्छे तरीके से विचार करें और इन तमाम प्रश्नों को उस फ्रैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी के सामने रखें ताकि वह मैटीरियल हासिल करके गवर्नमेंट के सामने रखे, जिस तरीके पर इंग्लैंड में कर्टिस कमेटी और केयर आफ चिल्ड्रेन कमेटी बनी और उनकी रिपोर्ट्स की बेसिस पर वहां चिल्ड्रेन ऐक्ट पास किया गया था, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि एक फ्रैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी यहां भी बनाई जावे जो सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करे और उसके अनुसार सरकार द्वारा यहां पर एक बिल पेश किया जाय।

Shri Raghuramaiah (Tenali). Sir. I rise to a point of order. I shall prove in a minute that the Bill is, or at any rate certain clauses in it are *ultra vires* of the Constitution, if I am permitted. I draw your attention to clauses 4 and 5 of the Bill. Taking first clause 4 of the Bill, it provides:

"All orphans shall remain under the custody of the State for the purposes mentioned in section 3 till each one of them has acquired an age and education to enable him to earn his livelihood and pass his life as a full-fledged citizen of India"

The treatment of minors is, no doubt, a concurrent subject. But this sets no limit to the particular age within which alone the Government can keep a certain orphan under its custody. As the clause now stands, it imposes a duty on the State to retain under its custody an orphan, and an obligation on every orphan to remain under such custody, till a very vague period of age—till such age as will enable the orphan to earn his livelihood.

Mr. Deputy-Speaker: Order. order. Points of order must state the points. There need not be arguments *in extenso*. Let me know what exactly are the points—1, 2, 3, etc. Then, if I find it necessary I would recuse the hon. Member to tell me how for the purpose of elucidation I want further information.

Shri Raghuramaiah: That is one point.

Mr. Deputy-Speaker: That there is no age limit.

Shri Raghuramaiah: There is no age specified in the clause and therefore it is a restriction on individual liberty contemplated under article 19 of the Constitution.

I will come to the next point, and that is with respect to clause 5 of the Bill. Clause 5 says:

"In each orphanage arrangements shall be made for the establishment of technical education...

Technical education of the nature contemplated in orphanages is not a Central subject, and I would invite your attention to Entry 5 of List III, which is a subject in the Concurrent List.

Mr. Deputy-Speaker: It is in the Concurrent List.

Shri Raghuramaiah: But I will prove in a minute that it comes under the State List.

Mr. Deputy-Speaker: He may state the point.

Shri Raghuramaiah: Technical education of the nature contemplated here comes under the State List. On these two grounds I say it is *ultra vires* of the Constitution.

Mr. Deputy-Speaker: Regarding the point that there is no age limit prescribed here, whatever legislation is passed is always subject to the Fundamental Rights of the Constitution. Therefore, wherever there is any inconsistency the Constitution will prevail. If in the course of the Bill the age of an orphan is provided as a child below eighteen years, that can be made. There is no inconsistency.

Regarding technical education, it is not as if the Central Government is trying to regulate technical education for the whole of India, which is certainly a State subject, but only with respect to particular persons who are kept under the care and custody of the Central Government. It is not as if we are passing legislation in respect

of technical education for the whole of India. I do not see that either of these points of order is relevant.

Shri Raghuramaiah: We now require the State Governments to afford technical education to these orphans. We are, therefore, legislating for the whole of India in respect of technical education, which is a State subject. It is for consideration whether that would be *intra vires* of the Constitution.

Mr. Deputy-Speaker: As I have already said, technical education is not sought to be regulated by this Bill. Education, in general, for the poor children or orphans is the main object of this measure. I do not, therefore, see how it contravenes the provisions of the Constitution.

Shri Altekar (North Satara): Item No. 25 in the Concurrent List relates to vocational and technical training.

Mr. Deputy-Speaker: I do not want any further reinforcement of my argument.

Shri B. S. Murthy (Eluru): Now that a point of order has been raised by my hon. friend Mr. Raghuramaiah, I have another point of order. If this Bill is passed it entails a lot of expenditure and as such previous sanction of the President is essential. Is it in order that we should pass a piece of legislation like this and force the hands of the President, without giving him notice?

Mr. Deputy-Speaker: I was thinking that would be the point of order. Government may appeal for private funds and spend it. When we come to that particular clause this aspect may be considered, and we shall then see whether President's sanction is necessary in advance.

There is no harm in proceeding with the general discussion.

Shrimati Jayashri (Bombay—Suburban): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill. I also thank the hon. Member who has introduced the two Bills, the Orphanage Bill and the Vagrancy and Begging Bill. I would request him to ask the Government to move a more comprehensive Bill based on the Children's Act passed in the Bombay State and the Madras State. As far as I know there is also a model Children's Bill which the Government intend to introduce and I would request the hon. Member to wait till that Bill is introduced, because that is a more comprehensive Bill which will include besides orphan children

also children suffering from other handicaps like delinquency, destitution and other problems.

We all know that the basic needs of a child if they are not properly met, give rise to various problems. In the Indian Constitution, article 39 lays down that the State shall in particular direct its policy towards securing that childhood and youth are protected against moral and material abandonment. For implementing this principle the State has to deal with the children without discrimination, which are socially handicapped and that is why I would request him that we should also see that other children also are looked after by the State.

There is a growing concern and desire that all children should be given the same opportunity for full development. "Mankind owes to child the best it has to give", are the words of the Charter of Children's Rights passed in Geneva. But, alas! for millions the future holds little promise, for the child is not given the chance for the physical, mental and spiritual development it requires. The child is 'always dependent' on its parents, society, community and the State. Considering the size of the population of our country and the problems that it involves and the nature and complexity of the problems, the total responsibility of welfare has to be shared by regional community as well as the State. In support of the argument that to augment State resources efforts have to be made by private organisations, I would tell the Member that there is the Indian Council of Child Welfare which is trying to organise many homes and other institutions, for the welfare of children. As Mr. Sahai informed the House, in Bombay very good work is done by the Children's Aid Society and the Shradhanand Ashram and the Hindu Din Dayal Sangh, and the Vanitha Ashram and rescue homes run by the Women's Council. They are doing very useful work and even if the Government runs its institutions, I think it will be depriving the children of many of the amenities and other facilities which they are able to get in these institutions. In order to avoid overhead charges the State would be inclined to establish very large institutions where hundreds of children would be herded together and this, as you are aware would be a very bad thing for these children from the emotional and psychological point of view. For this reason, I appeal to the Member that those institutions which are properly run by private organisations should

[Shrimati Jayashri]

be allowed to continue, though I would inform the Government that some of us have brought legislation for licensing of women's institutions and widows' homes. I hope Government will accept this principle, because as Mr. Sahai informed the House, there are some bogus institutions run which are exploiting children and also women. For this reason I should request Government that they should ask all these institutions to register and Government should recognise these institutions and give some financial help. It is, therefore, desirable that those orphanages which are properly managed by private effort should be helped by the Government. Instead of orphanages being taken up under State management, every orphanage should be issued a license after proper enquiry, so that the State should have some control over its working. Boards of visitors should be appointed by various State Governments within whose boundaries these orphanages are situated, consisting of well known social workers. In the case of girls orphanages, I would suggest that only women visitors should be allowed to visit them.

On the whole, I believe the present Bill requires thorough overhauling. It needs proper scrutiny. I, therefore, suggest that Government should have a model Children's Act, which will serve as a pattern on which the different States should develop their own legislation based on the existing resources. A co-ordinated machinery at the Centre should be established to give aid to different States to build up their work and then give leadership through proper channels. In the United States there is a Children's Bureau which functions on the lines specified. With regard to this I would like to draw the attention of the House that I have got one amendment to clauses 3 and 4. Shall I move the amendment?

Mr. Deputy-Speaker: Not now.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : उपाध्यक्ष जी, यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि वास्तव में दया के योग्य है और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लेन में यह समझता हूँ कि इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस विधेयक को लाने का तो अर्थ यह है कि जो संस्थायें अच्छी तरह से काम कर रही हैं और जिन को सरकार विभिन्न प्रकार से

सहायतायें देती है और उन में जो अनाथ बालक हैं वह अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कामधन्धे सीख रहे हैं और काम धन्धे सीख कर बाहर निकलते हैं, उन संस्थाओं को भी सरकार अपने हाथ में ले ले। मुझे कुछ अनाथालयों का अनुभव है। मैंने कई अनाथालय देखे हैं और मैंने इन में से कई में यह देखा है कि जिन अनाथ बच्चों को उन में दाखिल किया जाता है उन का अच्छी तरह से पालन-पोषण किया जाता है, उन को पढ़ाया-लिखाया जाता है और पढ़ा-लिखा कर के जब वह १८ या २० वर्ष की अवस्था के हो जाते हैं तो उन को किसी काम-धन्धे में लगाने की कोशिश की जाती है। हाँ में यह जरूर कहूँगा कि जो बच्चे अनाथालयों से १८ या २० वर्ष की अवस्था होने पर निकलते हैं उन के आगे एक अन्धकार सा होता है। वह अन्धकार है गरीबी का, वह अन्धकार है बेकारी का। उन के पास न कोई कहने लायक अपनी सम्पत्ति होती है और न उन का कोई अपना घर होता है। इसलिए यह मैं जरूर चाहूँगा कि ऐसे अनाथ बच्चों को जो कि अनाथालयों से अपनी शिक्षा पूरी कर के निकलते हैं, नौकरी या काम-धन्धा दिलाने की प्राथमिकता, प्रान्तीय सरकार की ओर से या केन्द्रीय सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। होता यह है कि उन को प्राथमिकता नहीं मिलती तो वह यह करते हैं, जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा, कि वह उन को बोरों के अन्दर रख दिया जाता है और उन के पैर सिकुड़ जाते हैं और उन के नाम पर भीख मांगी जाती है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो एक जथा सा बना लेते हैं और वह बाजा बजाते हैं और दरवाजे-दरवाजे जाकर गाना गाते हैं और भीख मांगते हैं। वह अपनी पांच-छः साल की उम्र से यही काम उस समय तक करते हैं जब तक कि वह अनाथालय में १८ या २० साल तक रहते हैं। ये यतीमखाने छोटे से जेलखाने से होते हैं

जहाँ पर यह बच्चे रखे जाते हैं और शिक्षा पाते हैं। जब वह निकलते हैं तो उन का वही दृष्टिकोण रहता है, उन के सामने बेकारी मुंह खोले खड़ी रहती है। तो ऐसी हालत में उन को यही नजर आता है कि क्यों नहीं मैं भी दस बीस लड़कों को पकड़ लूं और यह धन्धा शुरू कर दूं। वास्तव में खामी यहाँ पर है और वह खामी यही है कि वह इस मुल्क में दरबाजे-दरबाजे घूमते हैं और कहा जाता है कि यह अनाथ बच्चे हैं उन को भीख दीजिये, उन के पोषण के लिए कुछ दीजिये। तो मेरा यही कहना है कि जो अनाथालय अच्छी अवस्था में हैं उन अनाथालयों को सरकार भरपूर सहायता दे और उस सहायता से उन बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, उन को कामधन्धे सिखाने के लिए सरकार छोटी-छोटी मशीनें दे ताकि वह काम सीख सकें।

10. A. M.

इस के अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो अनाथालय अच्छी हालत में हैं उन के पास भी बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के को साधन नहीं होते हैं। वह ज्यादा से ज्यादा छठवां, सातवां दरजा पास करा देते हैं या ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास करवा देते हैं और उस के बाद वह खत्म कर देते हैं। इन अनाथ लड़कों में मैंने बहुत से बालक ऐसे देखे हैं जो कि बहुत ही लायक होते हैं लेकिन उन के लिए तरक्की करने का कोई रास्ता नहीं होता। तो मैं यह जरूर कहूंगा कि जो इस तरह के कुशाग्र बुद्धि बालक हों उन के लिए यह देखा जाय कि वह किस दिशा विशेष की तरफ जाना चाहते हैं। जिस की जिस तरफ रुचि हो उस को उस तरफ जाने में सहायता दी जाय। मैं तो यह चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को मदद देती है, उसी तरह से इन बालकों को स्कालरशिप वगैरह दे और उन को अच्छी तरह से शिक्षित करा दे। तो मैं चाहूंगा कि यह इस तरह से हो।

द्विवेदी जी ने उस दिन कहा था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो भीख मांगते फिरते हैं। मैं यह जरूर कह देना चाहता हूँ कि कुछ गिरोह ऐसे हैं कि जिन का यह पेशा होता है कि वह भीख मांगें और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वह कुछ बच्चों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर के वह भीख मांगते हैं। उन में से कुछ लड़कों के माता-पिता भी मौजूद होते हैं किन्तु उन को एक लत हो जाती है और उस लत के बशीभूत हो कर वह ऐसा करते हैं। भीख मांगने के बहुत से नये नये ढंग निकालते हैं। लेकिन यह कहना कि यह सब अनाथालय करते हैं यह तो ठीक नहीं जंचता।

मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन अनाथालयों पर जो कि सिर्फ अनाथालय का ढोंग करते हैं, कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए और उन लोगों पर जो कि अनाथालयों के नाम से पैसा कमाते हैं कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए और ऐसे अनाथालयों को, जहाँ पर कि लड़कों से भीख मंगवायी जाती है, उन को कोई शिक्षा नहीं दी जाती, उन को कोई काम धन्धा नहीं सिखाया जाता, सरकार को खत्म कर देना चाहिए और उन के ऊपर खूब नजर रखनी चाहिए। मैं द्विवेदी साहब को यह बताना चाहता हूँ कि यदि यह अनाथालय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में चलाये जायें और जैसा कि हमारे कानून मंत्री जी ने कहा है अगर सरकार इस के लिए एक बिल लाये तो बहुत अच्छा हो। लेकिन मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ दिल्ली राज्य में एक पुन्नर हाउस है। जब वह पुन्नर हाउस बना तो लोगों ने बड़ी खुशी मनायी लेकिन जो कुछ पुन्नर हाउस के बारे में सुनने को मिला है वह यह है कि वह पुन्नर हाउस इसलिए बनाया गया है कि जो भिखारी लोग बेकार घूमते हैं शहर में, उन को वहाँ ले जाते हैं आशा यह थी कि उन को कामधन्धा सिखा कर बाहर निकाला जायगा। लेकिन होता यह है कि

[श्री नवल प्रभाकर]

बेकार भिखारी लोगों को पकड़ कर ले जाया जाता है और उन को वहां उसी तरह से रख दिया जाता है जैसे कि जेलखाने में और न उन को काम सिखाया जाता है और न और कुछ होता है। जब कोई अधिकारी वर्ग जाते हैं तो उन को नये कपड़े पहना दिये जाते हैं उन के बिस्तरे साफ होते हैं और उन की झाड़ पोंछ कर दी जाती है और कुछ मशीनें लाकर रख दी जाती हैं, यह दिखलाने के लिए कि उन को काम सिखाया जाता है। अगर इस विधेयक को पास कर के इसी तरह के अनाथालय बनने हैं तो मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को पास न करें और ऐसे अनाथालय न बनायें जैसा कि दिल्ली का पुअर हाउस है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा फिर इस हाउस से यही निवेदन है कि जो अनाथालय अच्छी अवस्था में हैं, जहां पर बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल होती है, उन को शिक्षा दी जाती है और कामधन्दा सिखाया जाता है, उन को आप तरजीह दीजिये और उन को सरकार की तरफ से सहायता भी मिलनी चाहिए। किन्तु मैं फिर इस बात को दुहरा देना चाहता हूं कि उन अनाथालयों में से जो नौजवान निकलते हैं सरकार को उन की बेकारी की समस्या हल करनी है ताकि उन के दिमाग में जो अनाथालय का वातावरण भरा हुआ होता है वह बाहर निकल जाय और वह फिर से अपना एक नया संसार बसा सकें और एक नई जिन्दगी शुरू कर सकें और अपना जीवन-यापन कर सकें।

इतना कह कर के मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के अन्तर्से बहुत सन्तोष हुआ है। इस बिल की बहुत आवश्यकता थी। आज हमारे देश में ऐसे बच्चे बहुत हैं जिन के मां-बाप नहीं हैं। वह पैदा क्यों हुए यह तो

दूसरा प्रश्न है लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि इन में नैतिकता बहुत कम है और इन की आर्थिक हालत बहुत खराब है। माता-पिता बहुत गरीब हो गये हैं और देश में जो आर्थिक अवस्था है उस में जो बहुत गिरी हुई जातियां हैं उन में जो बैंकवर्क क्लासेज हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, उन की मैजारिटी है। आजकल क्या होता है कि ऐसा कोई बिल आ जाता है तो कहते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत काम है। तो हम किस वास्ते आये हैं? पब्लिक का, गवर्नमेंट का और देश का भी अच्छा होना चाहिए। पंडित नेहरू बालबच्चों को बड़ा प्यार करते हैं, उनको बच्चे प्यारे हैं लेकिन वह ऐसे बच्चों को नहीं प्यार करते जो अनाथ हैं, गरीब हैं, जिन की अवस्था खराब है।

श्री मनमूनबाला (भागलपुर मध्य) : करते हैं। उन को भी करते हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं ने ऐसी जगह जाते नहीं देखा। आपने देखा होगा।

मेरा ख्याल है कि दिल बड़ा होना चाहिये, साफ होना चाहिये, अच्छा होना चाहिये। गरीबों के लिए आजकल देहातों में क्या होता है। पूना में आप जावें। आप जहां जायेंगे वहां अनाथालय हैं। अभी मैं जापान गया था। जापान में एक लायसेंस लगा दिया गया है कि जो भीख मांगने वाले हैं, उन को लायसेंस लेना पड़ेगा। अच्छी तरह वह रहेंगे, तब भीख मिल सकेगी। यहां क्या होता है। गाड़ी में बैठिये, ट्रेन में जाइये, कहीं पर भी इस के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। इन के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बिहार में, बंगाल में कहीं भी जाते हैं तो वहां इतनी दरिद्रता है और वहां इतने अनाथ लोग हैं कि इन की व्यवस्था करने के लिये गवर्नमेंट का फर्ज है कि अच्छी तरह से इनका इन्तजाम हो। जैसी कि देश की हालत है, इसमें जो हम

बैलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं वह हम कैसे बनावेंगे जब तक कि हमारे गरीब बालबच्चों की संभाल ठीक नहीं होती और उन के लिये अच्छा इन्तजाम नहीं होता ?

दूसरी बात यह है कि इस के लिये फैंक्ट फाइंडिंग कमेटी के बारे में जो एक मित्र ने कहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और गांव गांव में, देहातों में, जिलों में और हर प्रान्त में रीति रिवाज कई प्रकार के हैं। तो फैंक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने से उन की परिस्थिति मालूम हो जायगी। आज सब लोग चिन्ताते हैं कि गवर्नमेंट को शिक्षा देनी चाहिये। जब तक हमारा देश दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होता, कम्पलसरी ऐजुकेशन नहीं होती, जिसके लिये हम लोग हर वक्त बोलते हैं, तब तक हमारी अवस्था ठीक नहीं हो सकती। अभी पूना में, बम्बई में, कई अनाथालय हैं और वे वहां चल रहे हैं। लेकिन उनकी सहायता भी अच्छी तरह से मिलती नहीं, क्योंकि इन की तरफ पब्लिक का जो देखने का दृष्टिकोण है, वह अच्छा नहीं है। आप बनारस जावें, काशी जावें, पंढरपुर जावें, वहां अनेक निराश्रित लोग हैं जिन के लिये स्थान बने हैं। उनके लिये कथन करना मुझे यहां बहुत खराब मालूम पड़ता है। बनारस में और दूसरे जो स्थान हैं, जहां जहां तीर्थ यात्रा के स्थान हैं, वहां तो सब से ज्यादा खराब हालत है। वहां जहां पुण्य का काम होना चाहिये पाप होता है। गवर्नमेंट को यह रोकना चाहिए। इस के लिए कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इस के लिए कुछ न कुछ अनाथालय या इस प्रकार की ऐसी संस्थाएं निकालनी चाहियें कि जिस से हमारे देश में जो अनाथ हैं उन का प्रबन्ध हो सके। कभी-कभी आप लोग कहते हैं कि भगवान के बच्चे हैं। भगवान के तो हम सभी हैं। यह ठीक है। लेकिन इस में दूसरा नाम दे कर आप हम को

हरिजन बनाते हैं। यह शब्द बहुत खराब है। हम हरिजन हैं, तो आप किस के जन हैं? क्या आप दानव जन हैं, या कि राक्षस जन हैं? हम सब मानव जन हैं। तो मानव की दृष्टि से मानव का उद्धार होना चाहिये। और इस मानव में जो गिरी हुई जातियां हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं उन का ख्याल होना चाहिये।

अभी हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब होम के बैठे हैं। उन को देखना चाहिये कि यह कितना बड़ा काम है। मिनिस्टर बन गये, कितनी रिसपांसिबिलिटी आप के ऊपर है। यह इधर ला मिनिस्टर बैठे हैं। बिल आता है। कभी कभी उस के ऊपर बोलने को मिलता है। लेकिन ऐसे बिल को ज्यादा समय मिलना चाहिये। उस के लिए सिलैन्ट कमेटी बनती है तो ठीक तरह से बननी चाहिये। लेकिन सिलैन्ट कमेटी बनाने का एक तरीका हो गया है कि कोई बड़े बड़े नाम रख दिये जाते हैं। उन्हीं को ले लिया जाता है। जो इंटरस्टेड लोग हैं, जो सच्चे इसी काम को जानने वाले हैं, उन्हीं को लेना चाहिये। कोई कहे कि मेरा नाम भी रखो तो यह बोलना ठीक नहीं मालूम होता। यह दृष्टिकोण ठीक से होना चाहिये।

हमारे बैंकवर्ड क्लास के एक भाई मिस्टर देशमुख साहब भी बैठे हैं। उन के जिम्मे भी काम है। गांव गांव में उन को जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हालत है। अब तो वह बड़े मिनिस्टर बन गए, तनख्वाह मिल जाती है, ठीक है।

कृषि मंत्री (डा० पी० ए० देशमुख) : तनख्वाह बिल्कुल ठीक नहीं है।

श्री पी० ए० राजभोज : तो इस के लिये भी कुछ न कुछ ज्यादा आप को काम करना पड़ेगा। हमारी जो बैलफेयर स्टेट है वह कैसे बनेगी। जब तक यह हमारे जो निराश्रित लोग हैं उन की हालत नहीं सुधरेगी, उन के लिये फैंक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बने तब तक काम नहीं चलेगा। चिल्डरन्स ऐक्ट

[श्री पी० ऐन० राजभोज]

के लिये तो ला मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आने वाला है। कब आवेगा ? जल्दी से जल्दी उस को लाना चाहिये। यह तो इस में सामाजिक सुधार करना है। मैं तो कहता हूँ कि राजनीतिक सुधार से भी पहले सामाजिक सुधार जब तक नहीं होता है तब तक हालत ठीक नहीं हो सकती। राजनीतिक सुधार हो जाने से तो बड़े बड़े लीडर हो गये। लेकिन सामाजिक स्वतन्त्रता हम को मिलनी चाहिये। वह हम को नहीं मिली है। राज की स्वतन्त्रता के लिए हम झगड़ा करते हैं लेकिन सामाजिक स्वतन्त्रता नहीं मिलने से हालत ठीक नहीं होगी। इस वक़्त तो फुटबाल की तरह की परिस्थिति है, कभी उधर गई, कभी उधर गई। तो युनीफार्म पालिसी होनी चाहिये।

स्पीकर महोदय कहते हैं कि हमारी संस्कृति बड़ी है। बड़ी तो थी, अब नहीं है। अब बड़ी वह कहां रह गई। अब तो हालत हमारी बरबाद हो गई है। आप ऐसे नियम बनाइये, ऐसे कुछ काम करिये कि हमारे जो निराश्रित लोग हैं उन की हालत सुधार सके। अभी जो हम लोग हैं तो किसी ने उन को क्रिश्चियन बना दिया, किसी ने मुसलमान बना दिया। अगर मां नहीं, बाप नहीं, गरीब है, तो कहा चलो भाई तुम को हम ईसाई बना दें, तुम ईसाई बन जाओ या मुसलमान बन जाओ। यह स्लॉटर हाउस, जैसे कसाई खाने की हालत है, वैसी ही हमारे गरीब लोगों की परिस्थिति इस देश में हो चुकी है। हमारा देश अब आजाद हो चुका है। देश को सब प्रकार से आगे बढ़ना चाहिये। अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं यह हम लोगों को शिकायत है। हम कोई परदेश या किसी दूसरे देश के वास्ते नहीं बोल रहे हैं। हम इसी देश के वास्ते बोल रहे हैं। आचार, विचार, संस्कृति और सामाजिक संस्कृति, सब दृष्टि से हम को आगे बढ़ना चाहिये।

इसी वास्ते यह जो बिल हमारे भाई लाये हैं, उस में थोड़ा सा यह होना चाहिये कि जिन का थोड़ा सा शारीरिक भंग हो, जो भ्रंथे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, पंगु हैं, उन को लाभ उठाना चाहिये। नहीं तो खाली जिन के मां बाप नहीं, उन के लिये कर दिया और जिन के शारीरिक भंग नहीं हैं वैसे नहीं किया तो ऐसे अन्याय लोग तो बहुत हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : मैं सदस्य महोदय का दूसरे बिल की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिस में वेग्रेसी और बैगिंग के बारे में प्रावीजन किया गया है।

श्री पी० एन० राजभोज : चार छः बिल नहीं आने चाहिये, यह सब एक ही बिल में आ जाना चाहिये। सामाजिक सुधार की जितनी बातें हैं वह ठीक हैं, आनी चाहियें लेकिन सब एक ही जगह होना चाहिये एक अमेंडमेंट इसलिये इस बिल में ऐसी होनी चाहिये।

दूसरे उन के लिये; चिल्डरन्स और बालबच्चे और इस प्रकार के जो लोग हैं उन सब के लिये ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्रीरतों का जिक्र नहीं है।

श्री पी० एन० राजभोज : श्रीरतों का जिक्र तो नहीं है। लेकिन निराश्रित के लिये है। जो निराश्रित है, चाहे श्रीरत हो या बच्चा हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सब इस में आ जाते हैं। इस वास्ते मैं हाउस से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस बिल की शोध पास होने की आवश्यकता है और मैं चाहता हूँ कि इस को कानून का

रूप देने से पहले इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। सामाजिक सुधारों के लिए इस प्रकार का बिल पास किया जाना अति आवश्यक है और इस सम्बन्ध में हमारे हाउस के कई मित्रों ने भाषण दिये हैं और इसलिए मैं इस के ऊपर हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। इसलिए इस बिल को उन सुझावों को लाइट में संशोधित कर के जिन को हम ने बतलाया है, दुनिया के बेकार लोग, निराश्रित और अंधे, लूले लोगों का जल्दी से जल्दी इन्तजाम होना चाहिए, आज देश में कितनी बेकारी है और हर जगह लोग भीख मांगते दिखते हैं, यह कितनी खराब बात है। दूसरे देश में आप को इस तरह की अमीम दरिद्रता और भीख मांगने की प्रथा देखने को नहीं मिलेगी, यह सब देखकर मुझे विश्वास नहीं हो पाता कि केवल पंचवर्षीय योजना तैयार कर लेने मात्र से हमारे देश में हालत ठीक हो जायगी, क्योंकि मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नेता लोग जिन के हाथ में शासन की बागडोर है, थ्योरिटिकल ज्यादा हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम हैं, बड़ी २ और लम्बी २ स्कीमें तो जरूर बना देते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते, देहातों में क्या सुधार किये जाने चाहियें और देश से दरिद्रता और दूसरी खराबियों को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिये, इस दृष्टि से विचार होना चाहिये जो कि आज नहीं किया जा रहा और जब तक आप इस में सफल नहीं होते आपकी यह पंचवर्षीय योजना किसी काम की नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह बिल शीघ्र पास किया जायगा और उचित संशोधन सहित कानून का रूप इस को पहिनाया जायगा। बस इतना बोलकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

Shri Barrow: I have read the Orphanage Bill with deep appreciation of the humanitarian spirit which has prompted the hon. Member to place this Bill before the House. I feel, however, that the Bill is restricted in

scope, superficially drafted and over-ambitious in its financial implications. I am not saying this in any sense of depreciation, but to indicate briefly the lines on which my criticism of the Bill will be based.

The very title of the Bill shows how restricted in scope it is. If we are to accept the principle underlying the Bill, i.e., the responsibility for the care of orphans because they have no one to look after them, then we must extend the benefits of this principle to other classes of children. In August, 1949, at the Education Ministers' Conference, a Resolution was passed which, in principle, accepted that State Governments must take care of all uncared for children. I, therefore, feel that the title of the Bill should be changed to the "Care of Children Bill", and that, as in the Children Act of 1948 of the United Kingdom, this Bill should be extended to the following three other classes of children:

- (1) those children whose parents or guardians have abandoned them;
- (2) those whose parents or guardians suffer from some permanent disability rendering them incapable of caring for their children; and
- (3) those whose parents or guardians are of such habits or mode of life as make them unfit to have the care of children.

These three classes of children obviously also require protection and guidance.

Now I turn to the question of superficial drafting. This has already been referred to earlier in the point of order that was raised on the question of the age limit. I am not concerned about the age limit from the point of view of majority or minority, but I am concerned about the age limit from the point of view of managing children, because children of a certain age become difficult to manage because of their psychology. It is, therefore, necessary that those children should not remain in these orphanages, but should be removed to other places, especially after they have reached the age of 17. Therefore, the Bill will have to be redrafted so that there should be provision for after-care of these children. Some of them will probably not be fitted to take their place in the sea of life, and it will therefore be necessary to have some Homes where they can get this after-care.

[Shri Barrow]

I turn next to the financial implications of the Bill. I do not know if my hon. friend means to nationalise charity in this way. The Bill seeks to take over all the orphanages of the voluntary organizations, and the Centre or the States will have to find the finances to run these organizations.

Shri Achuthan (Cranganur): Not so. They will be recognized.

Shri Barrow: Not according to the present Bill, as it has been drafted.

My hon. friend has brought me to my next point. We must turn to voluntary organisations to supplement any State organisations which may try to help in this field of social service. Historically speaking, voluntary organizations have been first in the field, and this Bill must recognize that fact. It must recognize the fact that these organizations are not competitive, but that they are complementary, and I would ask that the Bill be re-drafted so as to make provision for these voluntary organizations. The Children Act of 1948 of the United Kingdom makes provision for these voluntary organizations. They must be registered, rules are laid down for their conduct, certain Visitors appointed, and further, any organization which continues to function without registration is liable to certain penalties. I would ask the hon. Member to take this into account when, as I hope, the Bill goes to a Select Committee.

I come next to an important consideration, viz., that if we do away with the voluntary organizations, we at one stroke stem the well of charity and breathe into these institutions the dryness of the Sahara. I am using the word "charity" in its proper meaning, viz., love, because workers in these voluntary organizations are prompted by the deepest and purest of all human motives—love—and therefore they achieve very much better results than will be ever achieved by organizations run by the State. I call upon Plato to bear witness. In his "Symposium" we have these words:

"Therefore.....I say of Love that he is the fairest and best in himself and the cause of what is fairest and best in all things..... the God, who Gives peace on earth and calms the stormy deep. Who stills the winds and bids the sufferer sleep."

We want here to destroy the work of love and substitute Duty. Duty, as

Wordsworth says:

"a rod To check the erring and reprove."

I do not want to go into the psychology of love and Duty, but one, obviously, is spontaneous and the other has all the marks of *ab extra* control. Any action that comes from love will get a better response than an action that comes from cold, stern Duty. Therefore, I ask the hon. Mover again to remember that these organizations—many of them—are working, and their workers are prompted, by love, and by nothing else.

I come to my last point which, I think, is fundamental. I come to the question of the religious training. This Bill provides a resting place for the bodies of the orphans: it provides for technical education, so that after they leave these orphanages, they may have their own Homes for physical rest, but there is no provision at all for an anchor for their spiritual needs. We are providing them with a training so that when they go home after their day's work, they will be able to rest their bodies but there is no provision for any sort of spiritual Haven. I believe that most delinquency is based on this,—that people do not have a spiritual anchorage. When the busy day is hushed and the evening shadows lengthen, it is then that our minds turn to things which we have been taught in our infancy. If these children are to have a spiritual anchorage we must teach them to store up a spiritual heritage where moth and rust do not corrupt.

Although I approve of the principle of the Bill and the spirit in which it has been moved, I must oppose it, in its present form.

श्रीमती जना नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी बहुत मन्त्र हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार इस बिल पर प्रकट करूँ। सब से पहले तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा पताद होता; अगर इस बिल का नाम आर्कनेज बिल न होता। जब मैं आर्कनेज और विधवा आश्रमों को देखती हूँ तो मुझे बहुत ही दुःख और तकलीफ़ होती है। मैं समझती हूँ देश भर में जितनी संस्थाओं का नाम आफनज या विधवा आश्रम

है सब से पहली चीज उन के सम्बन्ध में हमें यह करनी है, और प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स को भी करनी चाहिये, कि ये नाम हटा दिये जायें। अनाथालय नाम को भी हटायें और विधवा आश्रम के नाम को भी हटाइये। और जैसे चिल्ड्रेन्स होम्स हैं या और अलग-अलग नाम हैं उन को रखना चाहिये। सब से पहली चीज तो हमें यह करनी है।

दूसरी चीज यह है कि मैं अपने प्रान्तेबल मेम्बर श्री रघुबीर सहाय जी को, जिन्होंने अभी व्याख्यान दिया, यह बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने व्याख्यान में हमारी बहन सरोज पटेल का नाम लिया। साथ उन्होंने ने यह भी कहा कि हमारी बहुत सी बहनें आज देश में हैं जिन को यह पसन्द है कि वह एम० एल० ए० हों, या एम० पी० हों और लेजिस्लेचर्स में आवें। लेकिन ऐसी बहनें नहीं दिखाई देतीं जैसी कि सरोज पटेल हैं। मैं खुद सरोज पटेल की बहुत तारीफ़ करती हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि वह चारों तरफ़ हिन्दुस्तान भर में घूमे हैं लेकिन उन को यह भी पता नहीं है कि यू० पी० में, जहां कि अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, इस वक्त भी बहुत से चिल्ड्रेन्स होम्स खुले हुए हैं। उन के अन्दर बहुत सी स्त्रियां हैं जो रात दिन काम करती हैं। यह मुझे उन को उत्तर प्रदेश के लिए बताना है। बहुत सी ऐसी बहनें हैं, लेकिन आज उन का नाम ज्यादा फ़ैला नहीं है। एक तो समाज के अन्दर उन की स्थिति ऐसी है, दूसरे वह अपने आप कभी भी अपनी ढफली नहीं बजाती हैं। इसलिए उन का नाम कम ही सामने आता है। मैं तो अपने भाई से कहूंगी कि वह मेरे साथ भ्रमण करें और मैं उन को मेरठ और दूसरी जगहों में दिखलाऊंगी कि बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन को दुनियां जानती नहीं है लेकिन वह बड़े बड़े काम कर रही हैं। यह तो

मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह रही हूँ लेकिन दक्षिण के बारे में तो वह भी काफी जानते हैं।

इस के बाद मुझे आप से यह कहना है कि खुद मुझे को चिल्ड्रेन्स होम्स और विधवा आश्रमों से मुदत से बड़ी दिलचस्पी रही है। एक दफ़ा ऐसा समय आया था कि खुद मेरा इरादा हुआ था कि मैं विधवा आश्रम में जा कर उस को संभालूँ। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो विधवा आश्रम मैं ने देखे और जो उन की मैनेजिंग कमेटियां मैं ने देखीं तो उन में मुझे सारी पुरुषों की कमेटियां मिलीं। और उन के अन्दर जो बदचलनी मैं ने देखी मुझे उस का जिक्र करते हुए दुःख होता है। इसलिए मैं तो कहूंगी कि यह जो काम है यह अगर गवर्नमेन्ट अपने हाथ में लेना चाहती है तो गवर्नमेन्ट को यह काम हमारी बहनों के हाथ में देना चाहिये। स्त्रियों के ही हाथ में होना चाहिये। मैनेजिंग कमेटियों में पुरुष नहीं होने चाहियें। पुरुषों को विधवा आश्रमों के करीब नहीं जाना चाहिये। अपने बच्चों के वास्ते भी मैं आप से कहूंगी कि माता के हाथों की जरूरत होती है। जब तक उन के मां का हाथ नहीं लगता बच्चों में संसार की खूबसूरती नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों में भी स्त्रियों का ही काम है, पुरुषों का नहीं। इसलिए मैं कहूंगी कि अगर सरकार यह काम अपने हाथ में लेती है तो उस को भी इस की ओर ध्यान देना चाहिये।

सब से बड़ी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जब मैं आप के प्रोग्राम को देखती हूँ तो यह पाती हूँ कि बहुत से दूसरे इम्पोटेंट बिल इस के भीतर हैं। अगर गवर्नमेन्ट को यह बिल मंजूर हो जो कि द्विवेदी साहब ने पेश किया है तो इस को जल्दी से खत्म कर दिया जाय ताकि जो हमारे और बिल हैं उन पर हम विचार कर सकें और इस बिल पर ज्यादा समय न लगायें।

श्री पी० एन० राजभोज : बच्चों को जो दूध माता पिलाती है वह बाजार का दूध पिलाती है ।

श्रीमती उमा नेहरू : मैं अपने भाई से यह कहूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर माता आज बच्चे को दूध पिलाने से इन्कार कर दे तो वह जिन्दा भी नहीं रह सकते हैं । लेकिन मां तो बच्चे को दूध पिलाती ही है । माता के दूध में या घट्टी में यह होना चाहिये कि उसे पी कर बच्चे में देश प्रेम और देश सेवा आ जाय । और जितनी चीजें आज पुस्तकों में हैं वह हट जायें अगर माता विद्वान् हो और ज्ञानवान हो । मैं यह चाहती हूँ कि माता ऐसी योग्य हो, जमीन इतनी मजबूत हो कि जो पेड़ उसमें से निकले वह बढ़ सके और अपना साया दे सके । मेरा यह मतलब था ।

मैं इतना कहने के बाद यह कहना चाहती थी कि हमें थोड़ी सी देर में इस बिल को पास कर देना चाहिये क्योंकि गवर्नमेन्ट ने इसे मंजूर करने को कह ही दिया है । उस को जल्दी ही इसे मंजूर कर लेना चाहिये ताकि और जो हमारे बिल रह गये हैं उन पर भी हम विचार कर सके और जिन को हमारी गवर्नमेंट मंजूर करना चाहे उन को मंजूर कर ले ।

मुझे यह कहना है कि गवर्नमेन्ट को इस के लिए एक बिल तैयार करना है । मैं समझती हूँ कि गवर्नमेन्ट जब किसी चीज को हाथ में लेती है तो उसको खूबी से चलायेगी । इसलिए हमें इस की फिक्र बहुत कम है । लेकिन साथ में मुझे एक शक है कि इतना बड़ा हमारा देश है तो गवर्नमेन्ट किस तरह खूबी से इस काम को चला पायेगी ? इसलिए इस के साथ यह भी जरूरी है कि जो प्राइवेट इन्स्टिट्यूशन्स हैं उन को भी रहने दिया जाय वशत कि वह अच्छा काम कर रहे हों । जैसे हमारे इलाहाबाद में 'सेव दि चिल्ड्रन होम' है जो कि नैशनल

कौंसिल आफ सोइल्ड वेलफेअर का है । स्त्रियां ही उस को चला रही हैं और बहुत खूबसूरती से वह होम चल रहा है । ऐसे ही दक्षिण भारत में हमारे बहुत से इन्स्टिट्यूशन्स हैं जो निहायत अच्छी तरह से चल रहे हैं । और वह सब स्त्रियों के प्रायोजनाइजेशन्स के अन्दर चल रहे हैं । इस पर गवर्नमेन्ट को विचार करना चाहिये और जो ऐसे अच्छे इन्स्टिट्यूशन्स हैं उन को उसे नहीं लेना चाहिये । मुझे हमेशा से यह यकीन रहा है कि गवर्नमेन्ट के साथ-साथ प्राइवेट एन्टर्प्राइज का होना जरूरी होता है । अगर सब काम गवर्नमेन्ट के हाथ में ही चले जायेंगे तो प्राइवेट एन्टर्प्राइज खत्म हो जावेगी । ऐसा होने पर गवर्नमेन्ट इस काम को पूरा भी नहीं कर सकेगी इसलिए आप जितना मौका प्राइवेट एन्टर्प्राइज को दे सकें उतना देना चाहिये । लेकिन साथ साथ मैं यह भी जरूरी है कि प्राइवेट एन्टर्प्राइज में जो भी बहनें हों उन को देशभक्त होना चाहिये, अपने यहां के बच्चे को तैयार करना चाहिये और अपने मुल्क के जरें जरें से उन को मुहब्बत होनी चाहिये । अगर ऐसी कोई संस्था है जो नुकसानदेह है तो उस को गवर्नमेन्ट को फौरन ही खत्म भी कर देना चाहिये ।

मुझे इतना ही कहना था लेकिन साथ में मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेन्ट यह काम अपने हाथ में लेती है तब तो ठीक ही है वरना इस काम के लिये मिशनरी स्पिरिट की जरूरत होती है । जब तक वह स्पिरिट नहीं आयेगी तब तक आप बच्चों को बुद्धिमान और विद्वान् नहीं बना सकते हैं । मैं चाहती हूँ कि ऐसी स्पिरिट हमारे देश में आये और हमारे घरों में भी आये । हमारे बच्चे अपनाय न कहलाये जायें । यह मेरे दो तीन सजेशन्स हैं । हमारे मुल्क के अन्दर जो भी इस तरह की संस्थाएँ हैं जैसे विधवा आश्रम

हैं या अनाथालय हैं उन में से विधवा आश्रम और अनाथालय के नाम को हटा दिया जाय। मुझे जरा भी पसन्द नहीं आता कि विधवा आश्रम से औरतें निकलें। वह देश के रहने वाली हैं, उन के नाम के साथ विधवा का नाम न लगा कर और दूसरा नाम रखना होगा। आप को उन को अपना कर और साथ लेकर चरना होगा—तभी आप की स्टेट बेलफेयर स्टेट हो सकती है।

श्री नामधारी (फजिल्का-सिरसा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल के सूवर साहब को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इतनी उत्तम चीज मुल्क के सामने पेश की है। हमारी बुजुर्ग लेडी मेम्बर साहिबा ने अभी कुछ वचन फरमाये हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है बड़ा मुनासिब कहा है कि औरतों को उन का इन्चार्ज बनाना चाहिये क्योंकि औरतों के अन्दर माँ का हृदय होता है और उन के मुकाबले कोई इस काम को ज्यादा अच्छा नहीं कर सकता है। और औरतों में भी हिन्दुस्तान की औरत एक खास मादा रखती है। दुनिया में यह देखा गया है कि सब से ज्यादा कुरबानी एक पतंगा करता है जो कि जलती हुई शमां पर गिर कर जल जाता है। लेकिन वह पतंगा तो एक जलती हुई शमां पर गिर कर जलता है, पर हमारे मुल्क में एक ऐसा पतंगा है जो कि बुझी हुई शमां पर गिर कर जल जाता है। वह कौन सा पतंगा है। वह हमारे देश की औरतें हैं जो कि अपने मरे हुए खांविंद के साथ सती हो जाती हैं और अपने आप को कुरबान कर देती हैं। और मैं समझता हूँ अगर हम यह काम अपनी माताओं और बहिनों से लें तो वह पुरुषों से ज्यादा कामयाब होंगी।

इसके बाद मैं आप से यह प्रार्थना चाहता हूँ कि आरफन्स की सेवा, यतीमों की सेवा यह कोई किसी पर अहसान नहीं है। यह तो एक अमली इबादत है। मुझ से एक

साहब ने सवाल किया कि हम ईस्वर को किस तरह से खुश कर सकते हैं तो मैं ने उन को अपने जिनंदगी के तजरबे से यह बात बतलाई। मैं एक बार मोटर में बैठा हुआ था। बाजार में मोटर खड़ी थी। एक गरीब आदमी का बच्चा मेरी मोटर के करीब आ गया और मोटर की लकीरें करने लगा। उस ने समझा कि सरदार साहब नाराज होंगे। मैं ने यह सुन रखा था कि अगर किसी बड़े आदमी के बच्चे को एक हजार रुपया भी दिया जाय तो वह उतनी दुआ नहीं देगा जितनी कि एक गरीब का लड़का अगर उस को आठ आने भी दे दिये जायें। तो मैं ने वही नुस्खा आजमाया। मैं ने उस लड़के को आठ आने दिये। वह बहुत खुश हुआ और मेरा दोस्त बन गया। उस ने कहा कि मैं मोटर की सैर करूंगा। मैं ने उस को मोटर में रख लिया और सैर करायी। वह एक मुसलमान का आठ बरस का लड़का था। उस का बाप मिट्टी के बरतनों की दुकान करता था। जब मोटर उस की दुकान के सामने रुकी और उस ने देखा कि उस का लड़का मोटर में बैठा हुआ है और मेरे पास बैठा है तो वह खुशी से पागल हो गया। उस इलाके में लोग मुझे जानते थे और मेरे बुजुर्गों को भी खूब जानते थे। तो मैं ने देखा कि एक बाप के बेटे से प्यार किया जाता है तो बाप कितना खुश होता है। इसी तरह इन आरफन्स की मदद करना यह एक अमली इबादत है। मैं तो यह समझता हूँ कि यह एक रिलीजस और स्प्रिचुअल किस्म का बिल है। यह कोई मामूली बिल नहीं है।

मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे और भाई बोलना चाहते हैं लेकिन यह मैं प्रार्थना कर देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ गवर्नमेंट ही की ड्यूटी नहीं है। यह तो हर एक की ड्यूटी है कि वह दूसरे बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा ही समझे। अगर वह ऐसा नहीं समझता है तो उसे यह सजा भी मिल सकती है कि उस के एक की जगह दो तीन चार बच्चे हो

[श्री नामधारी]

जायेंगे, फिर क्या वह उनकी परवरिश करेगा या नहीं। और उस हालत में उस को एक एक बच्चे पर सौ-सौ और पचास-पचास रुपया महीना खर्च करना होगा। और उन का इन्तजाम करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ दस रुपया दे कर ही उस की जान छूट जायगी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि उस को पांच बच्चों का इन्तजाम करना पड़े।

मैं इस बिल को होलहाट्टे डली सपोर्ट करता हूँ। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भ्राने वाली हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उन के भी ह्यूमैनिटेरियन हार्ट है और वह भी इस बिल को सपोर्ट करेंगे और जैसी हमारी बुजुर्ग माता जी की तजवीज है, हम उन के कमांड के नीचे काम करें और हम सब उन के साथ चल कर अपना सेवा करने का फर्ज पूरा करें।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (जिला उन्नाव व जिला रायबरेली—पश्चिम व जिला हरदोई—दक्षिणपूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे समय दिया है इस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूँ।

आज जो यह बिल आया है मैं समझता हूँ कि यह एक बड़े महत्व का बिल है। हमारे देश में प्रायः बहुत संकुचित भावनायें हैं। मैं यह समझता हूँ, जैसा कि अभी सरदार जी तथा दूसरे महानुभावों ने भी कहा, कि इस बिल का राष्ट्रीय रूप इस प्रकार होना चाहिये कि जितने भी इस प्रकार के बच्चे हैं वे अपने मन में यह अनुभव न करें कि वे अनाथ हैं। मैं यह समझता हूँ कि अगर इस प्रकार के बच्चों को ठीक शिक्षा दी जाय तो और लोगों की तरह वे भी राष्ट्र के लिये बहुत उपयोगी बन सकते हैं।

मुझे अंग्रेजी का इतना ज्ञान नहीं है लेकिन मैं ने सुना है कि हमारे कुछ वाइसराय ऐसे आये जो कि इसी तरह पाले गये थे। वे यहां आ कर इतने बड़े अफसर बने और उन्होंने देश भक्ति दिखलायी। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के मन में यह बात न आवे कि वे अनाथ हैं। वे यह समझें कि वे भी राष्ट्र का एक बराबर का अंग है। इस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। इन अनाथालयों में से बहुत सों से जनता का सम्बन्ध है और उस सम्बन्ध में यहां बातें हुईं। मुझे भी अनाथालयों का ज्ञान है क्योंकि मेरा ज्यादातर आर्यसमाज से सम्बन्ध रहा है। मैं आर्यसमाज के अनाथालयों के विषय में जानता हूँ। महर्षि दयानन्द ने इस प्रकार के बच्चों के लिए जो कि कोई आश्रय न होने के कारण ईसाई हो जाते थे और मिशन में भरती कर लिए जाते थे यह अनाथालय खोले थे। तो महर्षि दयानन्द ने भारतवर्ष में अनाथालयों की स्थापना की और इस प्रकार के बच्चों का उद्धार किया। उस के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आयीं कि कुछ संकुचित विचार के लोग आ गये और उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये कुछ गड़बड़ियां भी कीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जहां पर कोई भी चीज नहीं थी और तमाम लोग ईसाइयों के मिशन में जाकर अपने बच्चों को रख देते थे, तो वह चीज रुक गई। अब तो यह स्थिति नहीं है। अब तो इस को एक राष्ट्रीय रूप देना है और इन बच्चों के मन में यह भावना नहीं आनी चाहिए कि हम अनाथ हैं।

इस के साथ ही जहां लड़कों का सवाल है वहां लड़कियों का भी सवाल है। लड़कियों के लिए भी इसी प्रकार का अनाथालय होना चाहिए। जैसा कि हमारी माता श्रीमती नेहरू जी ने कहा, उनका नाम अनाथालय नहीं होना चाहिये। मैं भी उन से सहमत हूँ। जहां

तक विधवा आश्रमों का सवाल है वहाँ औरतों का ही काम करना चाहिये लेकिन जो पुरुष काम करना चाहें उन को भी मौका देना चाहिये। हाँ इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि कोई अन्याय न होने पावे। आप ऐसा नियम रख दें कि जो पुरुष काम करना चाहे वह साठ या सत्तर साल का हों और अनुभवी हो और इस प्रकार की सेवा में दिलचस्पी रखता हो। इस प्रकार पुरुषों को भी भवसर देना चाहिये। यह सम्भव नहीं है कि इस काम को अकेली औरतें ही कर लें। बहुत से पुरुषों को भी अच्छा अनुभव होता है। उन्होंने अपने बच्चों का पालन-पोषण किया होता है। उन की सहायता से भी यह संस्थायें चलनी चाहियें। तो मैं यह फिर अनुरोध करूंगा कि यह जो जनता की संस्थायें हैं उन में सुधार किया जाय और उन को आर्थिक मदद दी जाय और उन के ऊपर बराबर सरकार का नियंत्रण और निरीक्षण रहे। इसी रूप में वह अच्छी प्रकार से उन्नति कर सकती हैं। मैं ने देखा है कि छोटे-छोटे अनाथ लड़के रेलों में भीख मांगते फिरते हैं। पर वह क्या करें? "बुभुक्षितः किम् न करोति पापम्, क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति।" भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता। वह सब कुछ करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कि उन के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है वे ऐसा करते हैं। उन के पालन-पोषण का कोई प्रबन्ध नहीं है। जनता में यह भावना नहीं है कि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही दूसरे भी बच्चे हैं। अपने बच्चों को हम कैसे सुन्दर ढंग से रखते हैं, उन पर सौ-सौ पचास-पचास रुपया मासिक खर्च करते हैं लेकिन एक अनाथ के लिए एक रुपया भी खर्च करने की हमारे अन्दर भावना नहीं है। अगर यह भावना हो तो इन बच्चों को इस प्रकार से भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहे।

जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, यदि सरकार खुद उन को अपने हाथ में लेगी, तो

मैं समझता हूँ कि उस से भी वह नहीं चल सकेगा, क्योंकि उस में ऐसी बातें हैं कि वहाँ अफसरी ढंग हो जायगा। एक के ऊपर दूसरा अफसर होगा, गवर्नमेन्ट का बहुत रुपया खर्च होगा और झूठे बिल बनेंगे। तो सरकार ऐसी संस्थाओं की, जो काम कर रही हैं, निगरानी रखते हुए उन की सहायता जरूर करे और कुछ जनता भी उन की सहायता करे। इस प्रकार से यह संस्थाएं हों और उन में एक विशेष प्रकार की दिशा होनी चाहिये। उन में एक राष्ट्र की भावना होनी चाहिये। बल्कि जिस को वीर-रस कहते हैं उस प्रकार की, मिलिटरी की शिक्षा होनी चाहिये और ऊंचे प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये। वहाँ सामाजिक सुधार की शिक्षा होनी चाहिये। इस तरह से बहुत बड़ा अच्छे से अच्छा राष्ट्र बन सकता है और अच्छे नेता भी उन में से बन सकते हैं। इस प्रकार के वातावरण में पले हुए जो बच्चे होंगे और ऐसी परिस्थिति से जो बच्चे आवाँगे उन में बहुत घमंड नहीं होगा। उन में सेवा भाव बना रहेगा। यह प्रायः देखा गया है कि उन में सेवा भाव बना रहता है। तो इसलिये इस की बहुत आवश्यकता है।

विशेष न कहते हुए, मैं ने जो दो-चार बातें कही हैं उन पर आप लोग ध्यान देंगे ऐसी आशा है। मेरे अतिरिक्त और भी बहुत से अनुभवी लोगों ने बातें बताई हैं। उन को राष्ट्रीय रूप देते हुए शिक्षा में ऐसी प्रणाली अपना कर उन को अच्छे से अच्छे प्रकार की शिक्षा देनी चाहिये। उन के अन्दर यह भी विचार न आये कि मेरे माता-पिता हैं कि नहीं। इस भावना से वे पलेंगे और हर प्रकार से उन के स्वास्थ्य का ध्यान होगा, उन के ऊपर अच्छी निगरानी होगी, इस प्रकार राष्ट्र के अन्दर बहुत उन्नति हो सकती है। यदि इस प्रकार से इन बच्चों का पालन होगा जिन के मां या बाप नहीं होते हैं, उन को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जायगी तो जिन बच्चों के माता पिता

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

होते हैं और जो उन के द्वारा पलते हैं, उन के संरक्षण में पढ़ते हैं, उन से वे बच्चे ज्यादा अच्छे राष्ट्र की सम्पत्ति हो सकते हैं। जिन के माता-पिता मर जाते हैं उनको ऐसे वातावरण में रखना चाहिये।

इन बातों को कहते हुए मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ।

Shri S. V. Ramaswamy: On a point of order, Sir. I do not know whether the recommendation of the President has been obtained and for that reason.....

Mr. Deputy-Speaker: This point has already been raised and over-ruled.

Shri B. S. Murthy: I welcome this measure and I have sympathy for the principles for which it has been brought and I congratulate the Mover for the laudable inspiration he wanted to give to the Government. It is the intention of the Congress Government to establish *Ramrajya*. And, in this connection I would like to recall to the minds of these Congress Members what happened during the days of Rama. There was the Death of a Brahmin Child. (*Shri P. N. Rajabhoj*): Is it about Sambuka? I would not like to talk about Sambuka; I would like to take the other side of the picture. So, Sir, the Brahmin child died and.....

Mr. Deputy-Speaker: Was he an orphan or a child?

Shri B. S. Murthy: Well, Sir, it is not stated whether he was an orphan or a child.

Mr. Deputy-Speaker: He was an adult.

Shri B. S. Murthy: I would not like to go further with regard to that. It is said in the *Ramayana* that the child of a Brahmin was dead and the corpse of the child was taken to Rama. They complained to Rama—'the child is dead and gone: it is an untimely death and it is stated in the *Vedas* that the untimely death of any child is due to misrule. So, you are responsible,' and so on the story goes on. I do not want to go further than that because there is a lot of controversy about the sequel to this death. Therefore this story tells us that it is incumbent on every Government to see that every child is fully provided for and all facilities are given for the full fruition of the child into manhood. It is said, I think, by Wordsworth that 'Child is the Father of the Man'. As long as a nation does not

take care of its children, it is not possible for a nation to develop its strong manhood and to compete with other nations. A child should not be treated either with reference to the caste he belongs to or the status he is born into. Every child is the property of the Government and therefore the Government should see that all facilities are provided for the normal growth of all children. We do not know from which village or from which *cheri* the future ruler of this country is going to come.

Full many a gem of the purest ray serene.

The dark unfathomed caves of the ocean bear."

So says the poet. But, we must see that every child born in this country is given all the facilities to develop himself and to serve this nation. Therefore in this manner we must carry out the burden of the Government and see that not a single child whether orphan or otherwise is given to bad habits or given to decay.

In Madras it is my unhappy experience that on the pavements many children are left to take care of themselves. Perhaps no mother, perhaps no father; and sometimes father and mother have been taken away from that place, though not exactly from this world. Therefore we cannot allow this valuable human resource of our nation to be frittered away and we cannot afford to wink at this and create a nation of irresponsible persons. Therefore, it is quite essential that the Government should think seriously about this matter. No doubt, in the Planning Commission Report the Government have stated their policy of giving a plan and a scheme. But, merely having a scheme in the Planning Commission's Report is of no use. No doubt, there are many non-official organisations in this country. We have organised for many years—nay for many decades—institutions to look after orphaned children. But, most of them have not been working well because of internal administrative difficulties or because of persons responsible for the conduct of the institution being very indifferent in the discharge of the duties they are called upon to discharge. So, we should not allow children to be stragglers and then become irresponsible citizens.

Another point I would like to stress is this. In most of these orphanages, I see, casteism is being given free play. The bane of the country is caste. Unfortunately, we have had to suffer lots of harrowing difficulties because of adhering to this unhealthy

principle of caste system. I do not mean to say that caste should be abolished here and now.

Hon. Members: Why not.

Shri B. S. Murthy: Rama Rajya Parishad says that the system is vicious.

Shri Nand Lal Sharma (Sikar): No, not according to me.

Shri B. S. Murthy: According to me, if hon. friends have the patience to hear what the untouchable in me would like to say is this. This reprehensible system in Hinduism is one which has depraved humanity.

Mr. Deputy-Speaker: Should he enter into a general discussion?

Shri B. S. Murthy: No, Sir; I am only telling hon. Members of this House that we should take care that children should not be poisoned with caste system, and especially orphans. I was trying to say that no religion and no caste system should be introduced into the orphanages. By saying "no religion", I do not mean "irreligion". What I mean is this that the culture and human traditions for which India is well known must be given full play in these institutions, instead of teaching a particular side of religion or taking only orphans belonging to a certain community. That sort of restriction must be tabooed.

Government may not be able to undertake a huge task like this. It is the primary duty of the nation as well as the Government to see that all these children are well provided for. But a lot of money is required for this purpose, and if that is not forthcoming, this legislation will only adorn the Statute Book or the archives of the Government. We must nationalise land and socialise industry if Government is to take proper care of the economy of the country, but according to the present rulers, it is not yet time to do this. So, I would suggest that in the meantime Government should give full help to those organisations which are doing real service for rehabilitating orphans. All persons connected with national centres of child welfare work should be given complete support.

There is one danger in organising orphanages. In this country, the biggest industry seems to be procreation. It is going on in full swing. In spite of all talks of family planning, birth control, danger of food scarcity etc. there is no control exercised to see that our population does not go beyond a certain limit. Sometimes, we read in the papers that parents who are unable to maintain their families commit suicide, taking the children with them. Others find the

orphanages handy. Many parents like to leave their children in some place to be picked up as orphans. The greatest boon to a child is the human touch from the father and the mother. Once the motherly affection and fatherly love are denied to the child, there is a void created in the child's mind. This must be avoided. We are not thinking in terms of a totalitarian nationhood. As long as we keep to our Indian traditions, culture and civilisation and rely on the Upanishads, Vedas and Puranas, we should see that this void is not created in the minds of our children, and they are given the benefit of fatherly affection and the blessings of motherly doting love which alone can enable them to rise to their full personality. Therefore, the people who are placed in charge of these orphanages must be trained persons, whose heart flows with the milk of human kindness and who are epitomes of patience and who do not distinguish children from children. This precaution is very essential. Otherwise, the child will become an automaton without any responsibility, without any human touch, without any love for the society in which it lives and grows up.

As regards the funds, I would like to make one suggestion. Funds from religious institutions, to whatever religion such institutions may pertain, should be utilised for this nation-building purpose. There are many temples in the country which have a lot of money unspent. Some of the big temples in the South are trying to organise colleges and high schools, but they have not so far thought of orphanages. Therefore, I would urge upon these private organisations to get money from these religious institutions along with the help given by Government, to do their work unhampered for want of finances.

11 A.M.

Shri S. N. Das rose—

Mr. Deputy-Speaker: I think he will speak on the proposed reference of the Bill to the Select Committee.

Shri S. N. Das: Yes, I have tabled an amendment to that effect.

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त श्री एम० एल० द्विवेदी ने समाज के बहुत बड़े उपेक्षित वर्ग के सम्बन्ध में यह जो विधेयक पेश किया है, मैं उन को इस के लिए बधाई देता हूँ। किसी भी कल्याणकारी राज्य में अनाथ जैसे लोगों का अस्तित्व ही उस के लिए उपहास का एक कारण हो जाता है। जो नया विधान हम ने बनाया और अपने राज्य के लिए

[श्री एस० एन० दास]

जो सिद्धान्त अपने सामने रखे और जो कार्यक्रम हम ने बनाया है उसकी दृष्टि में मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अपने देश से अनाथ नाम को नहीं हटा दिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि हम अपने कर्तव्य को पूरी तौर से पालन करते हैं। जैसा कि अभी श्रीमती उमा नहरू ने कहा अब हमारे देश में अनाथ और विधवा का नाम रहना हमारे लिए कलंक है। लेकिन मैं इस बिल के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूँ कि जैसा ही यह महत्वपूर्ण विषय है वैसा ही कठिन यह काम है और इस महा कठिन काम को करने के लिए बहुत व्यापक संगठन की आवश्यकता है। अगर सरकार आज की अवस्था में यह चाहे कि इस काम को वह पूरी तौर पर जिम्मेदारी लेकर कर सकेगी, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कहना सरकार के लिए मुनासिब नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी कहना सरकार के लिए मुनासिब नहीं होगा कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। विधान में जो मौलिक अधिकार, डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी, निर्धारित किये गये हैं, उन के अनुसार हमारा यानी सरकार का यह काम है कि हम उपेक्षितों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें, खासकर ऐसे उपेक्षितों के ऊपर जो आज बच्चे कहे जाते हैं। आज के बच्चे कल हमारे देश के नागरिक होंगे और नागरिक होने की हैसियत से उन के ऊपर जो जबर्दस्त जिम्मेदारी आयेगी, उस को उठाने और चलाने का भार और दायित्व उन के ऊपर होगा। इसलिए बच्चों की उपेक्षा करने का मतलब होगा देश के भविष्य को अंधकारमय बनाना। सरकार इस बिल के सिद्धान्तों को पूरी तौर पर मान कर जल्द से जल्द कानून के जरिये ऐसा संगठन हर प्रान्त में, हर राज्य में कायम करे जिससे कि इस काम को जल्द से जल्द व्यापक तौर से किया जा सके।

इस के पूर्व कि मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आऊँ, मैं यह कहना चाहूँगा कि चूंकि यह एक व्यापक विषय है और इस का सम्बन्ध समाज की दूसरी २ बातों से बहुत है। ऐसे बच्चे जिन के माता पिता मर जाते हैं, वे अनाथ की श्रेणी में आ जाते हैं। अतः माता पिताओं की असामयिक मृत्यु के कारणों पर भी हमें गौर करना चाहिये।

Shri R. K. Chaudhury (Gauhati):
On a point of order. बुड्डे के साथ विधवा विवाह का क्या सम्पर्क है।

Mr. Deputy-Speaker: The point of order should be addressed to the Chair and not to another hon. Member.

Shri R. K. Chaudhury: I apologise.

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

Shri R. K. Chaudhury: The hon. Member was telling me the other day.....

Mr. Deputy-Speaker: I am not concerned with all that.

What is the point of order?

Shri R. K. Chaudhury: I do not quite understand Hindi. I am an old man, he said the other day, and now he is speaking of widow marriage, old men and all these things together.

श्री एस० एन० दास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों की निगरानी और उन के पालन पोषण और उनकी शिक्षा का इन्तजाम राज्य की ओर से किया जाय। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। परन्तु एक बात की ओर संसद का ध्यान खींचना चाहता हूँ। बात यह है कि हमारे देश में जो मातायें बच्चों को जन्म देती हैं उन में १,००० में से पच्चीस मातायें ऐसी होती हैं जो जन्म देते ही मर जाती हैं और उन के बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का पालन पोषण, उनका निर्वाह और उन की शिक्षा का इन्तजाम करना तो

ऋमाज और राज्य के लिए जरूरी है। परन्तु स समस्या को हल करने के लिए यह ही जरूरी है कि हम माताओं पर विशेष ध्यान दें। माताओं के खाने-पीने, उन के हने-सहने और जब बच्चा पेट के अन्दर जाता है तब से उन की देखभाल करने के लिए यह जरूरी है कि माताओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब समस्याओं की जड़ में, जो सामाजिक विषमताएँ हमारे मुल्क में हैं उन की ओर विशेष ध्यान देना सबसे जरूरी है। उन सब की जड़ में अभाव ही काम कर रहा है। आज देश के अन्दर जो आर्थिक विषमता है, आज देश के अन्दर धन की कमी है, उस कमी के होने से हजार तरह की जो व्याधियाँ फैली गई हैं उन सब की ओर जब हम ध्यान देंगे तभी हम इन समस्याओं को सही माने में आ कर सकेंगे। इसलिए सब से पहली बात जो सरकार को ध्यान में रखनी चाहिये वह यह है कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि कोई भी हमारी आताय ऐसी न हों जिन की बच्चा जनने के समय निगरानी, उन के खाने पीने की व्यवस्था, उन की देखरेख और दूसरी हर प्रकार की व्यवस्था पूरे तौर पर न हो सके जिस से वे काल ही काल के गाल में न चली जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर छद्म ऐसे प्रान्त हैं जहाँ पर प्रान्तीय सरकार ने नाथ, तथाकथित अनाथ कहे जाने वाले, बच्चों की देखभाल के लिये कानून बनाये हैं। लेकिन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, बहुत से राज्य अभी तक नहीं हैं जिन्होंने इस दिशा में कोई कदम ही उठाया है। आज यद्यपि यह काम राज्यों और भारतीय संघ में बंटा हुआ है, केन्द्र का काम होते हुए भी राज्यों का भी यह काम है। इसलिए यह जरूरी है कि केन्द्रीय सरकार को के लिये एक माडेल कानून बनाये जिस माडेल कानून के मुताबिक सारे राज्य जल्द से जल्द इन कामों को जो उन के यहां की स्थानीय

संस्थाएँ हैं, ग्राम पंचायतें हैं, म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, उन के जरिये से अच्छी तरह चला सकें।

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA in the Chair]

दूसरी बात यह है, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, अभी तक इन बच्चों की देखभाल करने के लिये बहुत जगहों पर छोटी-मोटी संस्थाएँ हैं, कई संस्थाएँ ऐसी हैं जो संगठित रूप से ट्रस्ट के जरिये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा-दीक्षा का पूरा इन्तजाम है, लेकिन उन की तादाद बहुत थोड़ी है। फिर भी जो भी प्रयत्न उन की तरफ से गैर-सरकारी तौर पर हमारे मुल्क में हो रहे हैं उन सब का ठीक-ठीक पता लगाना चाहिये कि उन का काम किस दिशा में, किस हद तक किस तरीके से हो रहा है। इन बातों की जानकारी करने के बाद अगर सरकार कदम उठायेगी तो इस प्रस्ताव पर पूरी तरह अमल हो सकेगा। मैं अपने माननीय मित्र श्री रघुवीर सहाय जी के भाषण में जो सुझाव उन्होंने दिया है उस का पूरी तौर से तो समर्थन नहीं करता हूँ फिर भी मैं समझता हूँ कि इस तरह का बिल उपस्थित करने के पहले सरकार को एक कमेटी ऐसी बिठानी चाहिये जो इन सभी कार्रवाइयों की जांच अगर धूम धूम कर न करे तो भी सारी प्रान्तीय सरकारों से सारे कार्य का विवरण मांग कर उस विवरण पर विचार करे, और उस की रिपोर्ट के बाद बिल ड्राफ्ट किया जाय तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। कम से कम खर्चों में अगर हमें सारे देश में इस सम्बन्ध में जो कार्य हो रहा है उस की जानकारी हो जाय, उस की सफलता और विफलता का परिचय मिल जाय उस के बाद अगर हम कानून बनायेंगे तो उस से हम विशेष फायदा उठा सकते हैं। इसलिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि पूर्व इस के कि सरकार इस सम्बन्ध में कोई बिल उपस्थित

[श्री एस० एन० दास]

करे, एक समिति ऐसी बनाई जाय जो कि इस सम्बन्ध में भारत में होने वाले तमाम कामों की एन्कवायरी करे दूसरे देशों से भी इस सम्बन्ध में जानकारी हासिल करे। और तब अपने सुझाव सरकार के सामने रखे।

एक दूसरी बात जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूँ यह है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बिल में यह कहा गया है कि जगह-जगह सरकार आर्फोनेज खोले, यतीमखाने कायम करे और उन का इन्तजाम करे। इस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों के पालन-पोषण का काम जिस तरह घर के वातावरण में रह कर हो सकता है वैसे इन्तजाम किसी खास संस्था में नहीं होता है चाहे वहाँ स्त्रियों का ही प्रबन्ध क्यों न हो। इसलिये अगर इस प्रकार का प्रबन्ध किया जा सके कि बच्चों को घर के वातावरण में रखा जाय, अगर किसी घर में किसी बच्चे का पालन-पोषण अच्छी तरह से न हो सके, माता के मरने के बाद जो बच्चा अनाथ हो जाता है, उस को गांव के अन्दर या शहर के अन्दर किसी परिवार में ही रखने का इन्तजाम किया जा सके तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के बच्चों का विकास ज्यादा अच्छी तरह से हो सकता है।

सभापति जी, मैं संसद् का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि और भी सदस्य बोलने वाले हैं। मैं इस बिल का तहे दिल से समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इस बारे में कदम उठायेगी। जैसा कि सरकार के रुख से पता चलता है कि वह इस सम्बन्ध में एक व्यापक बिल स्वयं पेश करने वाली है, लेकिन व्यापक बिल प्रस्तुत करने के पहले मैं चाहूँगा कि एक कमेटी का निर्माण किया जाय जो कि पूरी-पूरी छान-बीन कर के इस के सम्बन्ध में पूरे सुझाव दे। दूसरी जो संस्थायें देश में चल रही हैं उन के बारे में जम्माकारी हासिल

कर के तब बिल उपस्थित किया जाय तो अच्छा होगा।

सभापति जी, अपना भाषण खत्म करने के पहले मैं प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। अगर हाउस को यह मंजूर होगा और आप आज्ञा देंगे तो मैं सेलेक्ट कमेटी के मेम्बरों में कुछ नाम और जोड़ना चाहूँगा।

Mr. Chairman: Yes, he may go on.

श्री एस० एन० दास : सारे नाम तो मैं ने दे दिये हैं, लेकिन जिन के नाम मैं और जोड़ना चाहता हूँ वे यह हैं : श्री पी० एन० राजभोज, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री ए० ई० टी० वैरो, श्री प्यारे लाल कुरील तालिब, श्रीमती सुषमा सेन, श्री रणवीर सिंह, श्री रघुवीर सहाय, श्री रोहिणी कुमार चौधरी।

Mr. Chairman: Shri Telkikar.

Shri M. S. Gurupadaswamy (Mysore): May I know whether we have to catch the eye of the Chairman or whether any list of speakers has been prepared?

Mr. Chairman: No list is binding on the Speaker or Chairman, and no list is followed. Even if a list is given it is within the discretion of the Chairman to call any Member he likes.

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : जनाब साहबे सदर, मैं इस बिल पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और इस की तार्ईद करने के लिये आमादा हुआ हूँ, महज इस वजह से नहीं कि यह बिल एक मुकम्मिल बिल है। मैं यह जानता हूँ कि दुनिया के शाइस्ता मुल्कों में कुछ बिल मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा काम्प्रिहेन्सिव हैं, लेकिन मैं इस की तार्ईद करने के लिए इस वजह से खड़ा हुआ हूँ कि वह इनने मुकम्मिल हैं जितने कि हमें जरूरत है। यह जो बिल हमारे सामने है वह ऐसा है कि उसी को हम अपना सकते हैं, उसी की इम्प्लिमेंट कर सकते हैं।

इस की खास वजूहात यह है कि जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया एक ऐक्ट सन् १९४८ ई० में इंग्लैंड में पास हुआ जिस को चिल्ड्रेन्स ऐक्ट के नाम से मोसूम किया जाता है। उस को देखने से मालूम होगा कि उन्होंने ने आर्फेंस यानी यतीमों की तारीफ में मुस्तलिफ चीजें दाखिल की हैं। जिनको दाखिल करना कसीर अखराजात का बायस होगा। चुनावे वह सात मुस्तलिफ अकसाम हैं जिन में पहली किस्म यह है कि जिन के मां बाप या वालदेन मौजूद न हों, मर चुके हों। दूसरी किस्म में वह यतीम दाखिल हो सकते हैं जो कि गुमराह हो गये हों या गुम हो चुके हों। तीसरी किस्म में उन बच्चों को माना गया है जिन को मां बाप के मौजूद होते हुए अलग कर दिया है। चौथी किस्म के वह बच्चे समझे जाते हैं जिन के मां बाप मौजूद हैं लेकिन बच्चे मां-बाप से ऐसे दूर दराज मुकामात में रहते हैं कि उन की तालीम व तरबियत ठीक नहीं हो सकती। पांचवीं किस्म के वह बच्चे हैं जिन की इनफर-मिटी या बिमारी की वजह से उन के वालदेन तालीम व तरबियत नहीं कर सकते और उन का इन्तजाम नहीं कर सकते। इन तमाम चीजों को अगर हम अपने मौजूदा बिल में शामिल करें तो हमारे सामने बहुत सी दुश्वारियां आ जायेंगी। एक तो यह दुश्वारी है कि इस वक्त हमारा मुल्क एक मुश्किल दौर से होकर गुजर रहा है। हमारे सामने पंच वर्षीय योजना है। हमारे सामने मुस्तलिफ मकासिद हैं। हम सभी को लेना चाहते हैं। लेकिन वक्त वाहिद में इन सब को लेना दुश्वार होगा। इस वास्ते हम ने एक रास्ता तै किया है। पहले तो हम ने यह अम्र तै किया कि हम पहले प्रायोरिटीज डिसाइड करें। दूसरी चीज हम ने यह तै की है कि हमारी स्पीड चाहेस्लो हो पर श्योर हो। तीसरी चीज हम यह चाहते हैं कि हम इक्ताफ करेंगे किसी चीज

की जुजबी कामयाबी पर और उस की मुकम्मल काम याबी प्रायन्दा जमाने पर मौकूफ रहेगी। इस तरीके से हम को चलना होगा। वरना यह मुश्किल होगा कि हमारे मौजूदा रिसोर्सेज हम को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। चुनावे जैसा कि मैंने इंग्लैंड के बिल के मुताल्लिक जिक्र किया उस में हमारे लिए मुश्किलें हैं और उस के मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस के मुताबिक कर भी लें तो एक और मसला हमारे सामने आयेगा। वह मसला यह है कि जिन बच्चों के मां बाप हैं वह भी उन की तालीम को छोड़ देंगे क्योंकि उनको यह तो इत्मीनान होगा ही कि अगर हम उन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो गवर्नमेंट उन का इन्तजाम करेगी। अभी हमारे मुल्क के इखलाकी मेयार के बेहतर होने की जरूरत है। इसलिए पहला कदम में यह जरूरी समझता हूँ कि जो बिल रखा गया है वही मुनासिब है। उस को हमें कामयाब बनाना चाहिये। अभी मैंने मुअज्जिज व मोहितरम ला मिनिस्टर साहब से सुना कि गवर्नमेंट इस तरह का बिल लाना चाहती है। मैं उन से भी यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वह भी ऐसा बिल बनायें जिस पर अमल किया जा सके। यह देख लिया जाय कि अगर हम इंग्लैंड की तरह करेगे तो यह मुनासिब होगा या नहीं। मेरे एक भाई ने यह सुझाव दिया था और यह तरमीम पेश की थी जो कुछ अवाम की तरफ से हो रहा है उस में सरकार इमदाद करे और यतीमखानों से जो बच्चे निकलते हैं उन को नौकरियां दिलाने का इन्तजाम किया जाय। उन्होंने ऐसी चीजें सामने रखी हैं जो कि उन लोगों को भी नसीब नहीं हैं जो कि यतीम नहीं हैं। तो हम इस बिल के जरिये से यह चीजें तो नहीं करना चाहते जो कि और यतीमों को भी नसीब नहीं हैं। यतीमों के लिए इस वक्त इतनी ही इमदाद हो सकती है कि उन को वह चीजें दी जा सकें जो कि यतीम

[श्री तेलकीकर]

होने की वजह से उन को नहीं मिल रही। वह चीजें जो उन्होंने सामने रखी हैं उन को हम इस बिल में शामिल नहीं कर सकते हैं।

तीसरी बात इस बिल के बिलसिले में हमारे सामने यह रखी गई कि यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बजाय इस के कि खुद यतीम खानों को ले, मौजूदा यतीमखानों को कुछ इमदाद के तौर पर दे दे और इस तरह से जो बच्चे इन यतीमखानों से निकलते हैं उनकी सालीम का माकूल इन्तिजाम करे। स्वाह वहीं हो या दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों में उनको रियायतें दी जायं। इस तरह से हमारा मकसद पूरा हो सकता है।

दूसरे इस बिल के सिलसिले में मैं ने कुछ सुझाव भी अपने नोटीस ऑफ अमेंडमेंट्स में दिये हैं। अगर इजाजत हो तो मैं उन पर भी बोलूँ।

Mr. Chairman: Amendments will come subsequently.

श्री तेलकीकर : मैं दोबारा यही अर्ज करूंगा कि पहले कदम के तौर पर इस बिल को मंजूर कर लेना हर तरफ से फायदेमन्द होगा और मैं आखिर में हाउस से यही कहूंगा कि वह इस को कामयाब बनाने में मदद दे।

Mr. Chairman: Seth Achal Singh. I would request hon. Members to be brief.

सेठ अचल सिंह (ज़िला आगरा—पच्छिम) : चेयरमैन महोदय, यह जो बिल द्विवेदी जी ने पेश किया है यह समय के मुआफिक है। हमारा एक बहुत बड़ा देश है और यहां करोड़ों आदमी रहते हैं और अकाल, बाढ़ और तरह तरह की खराबियाँ यहां चलती हैं जिन की वजह से बहुत से बच्चों के मां-बाप मर जाते हैं और वह बच्चे

रह जाते हैं। तो यह राष्ट्र का बहुत बड़ा काम है कि जो बच्चे इस तरह अपने माता-पिता से छूट जायं उन की देख भाल की जाय। हमारे देश में बहुत से अनाथालय खुले हुए हैं। उन में से कुछ तो ठीक काम करते हैं लेकिन ज्यादातर लोग प्रोफेशन के तौर पर नाम के वास्ते अनाथालय खोल लेते हैं और पैसा पैदा करते हैं और मीज उड़ाते हैं। इस के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी जिस ने तमाम देश का भ्रमण किया था और उन्होंने मालूम किया था कि कितनी संस्थायें बोगस हैं और कितनी अपना काम कर रही हैं। अब इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेंट इस काम को अपने हाथ में ले और देखे कि कौन कौन सी संस्थायें ठीक काम कर रही हैं और कौन-कौन सी नहीं कर रही हैं। ऐसा करने से जो काम खराब होगा वह ठीक हो जायगा। मेरा सुझाव यही है कि गवर्नमेंट तमाम संस्थाओं की जिम्मेदारी न ले बल्कि यह नियम बनावे कि जो संस्थायें हैं उन का रजिस्ट्रेशन हो जिस से जो संस्थायें काम कर रही हैं उन के बारे में मालूम हो सके कि कौन जैतुइन हैं और कौन बोगस हैं। अगर यह बिल पास हो जायगा और ऐक्ट बन जायगा तो जो लाखों बच्चे हमारे देश में हर साल अनाथ हो जाते हैं उन की अच्छी देखभाल हो सकेगी और वह अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस को लायेगी और इस के अनुसार काम करेगी।

श्री० रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं श्री द्विवेदी जी के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश ने यह फैसला किया है

श्री को० के० बसु (डायमंड हारबर) सिलेक्ट कमेटी के मंम्बर को नहीं बोलना चाहिए।

श्री० रणबीर सिंह : यह प्राइवेट मेंबर का बिल है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा।

Mr. Chairman: Hon. Member may go on.

श्री० रणबीर सिंह : मैं यह प्रश्न कर रहा था कि हम ने अपने देश के अन्दर वेलफेयर स्टेट बनाने का फैसला किया है और जिस देश में वेलफेयर स्टेट बनने जा रही हो उस का सब से पहला फर्ज अपने बच्चों की देखभाल करना है। और खास तौर से उन बच्चों की जिन के मां-बाप न हों जिनका सरकार के सिवा कोई देखभाल करने वाला न हो।

इस के अलावा और भी मुश्किलें हैं। आज देश के अन्दर कुछ ऐसे यतीमखाने हैं जो इन नौजवानों को भिखारी बनाना सिखाते हैं। बजाय इस के कि उन को देश का अच्छा नवयुवक बनाया जाय ताकि वह देश की तरक्की में हाथ बंटा सकें, उन को भिखारी बनने पर मजबूर किया जाता है और जो लोग धनी आदमी हैं और जो भिखारी को देखकर दान करना अपना फर्ज समझते हैं ऐसे आदमियों के पैसे का नाजायज इस्तेमाल कराया जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे बिल की बहुत आवश्यकता है और हमारे स्टेट्यूट पर ऐसा बिल होना चाहिये यह भी ठीक है। लेकिन इस के साथ-साथ यह भी बात सही है कि हमारा देश सौ डेढ़ सौ साल से गुलाम रहा है और वह देश जो कारीगरी में और दूसरी-दूसरी चीजों में सब से आगे था, जब कि दूसरे देश हमारे कपड़े को इस्तेमाल करते थे और दूसरी चीजों का भी, उस देश में गुलामी के वक्त में इतनी गिरावट आयी कि सुई जैसी छोटी चीज भी दूसरे देशों से आनी शुरू हुई। जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था वह देश एक गरीब देश बन गया। इन पांच छः साल के अन्दर अन्दर इस देश से यह तबक्को भी नहीं की जा सकती है कि

बावजूद इस बात के कि हमारा यह फैसला है कि हम इस देश के अन्दर एक वेलफेयर स्टेट कायम करें, वह इतनी जल्दी कायम हो जाय। उस के लिये वक्त चाहिये। ऐसी हालत में जब कि देश के अन्दर फायनेसेज बहुत कम हों और देश अपनी नींवों के लगाने में लगा हुआ हो, जैसे कि भाखरा डैम है और दूसरे बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं, इन के लिये ही रुपया मुश्किल से मिलता हो तो इस तरीके पर बच्चों के लिए रुपया तलाश करना, हालांकि बड़ा जरूरी है और करना चाहिये, लेकिन इस के साथ साथ इन दूसरी चीजों के लिये भी बहुत जरूरी है और इन का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है इतना आसान नहीं। अगर हमारे देश के अन्दर बिजली होगी, जैसे कि अब मल्टी परपोजेज स्कीम्स के अन्दर है, तो देश के अन्दर तरक्की हो सकेगी और अब वह बच्चे बालिग होंगे तो उन के लिये रोजगार भी मिल सकेगा।

इन हालात में, जैसे मेरे भाई दास साहब ने सिलेक्ट कमेटी के लिये रैफरेंस का मोशन किया है, मैं समझता हूँ कि वह जरूरी है और मेरा ख्याल है कि द्विवेदी जी को भी इस में कोई आपत्ति नहीं होगी अगर सिलेक्ट कमेटी में उन के बिल में कुछ थोड़ी सी इस किस्म की तबदीली की जाय कि इन सब यतीम खानों को सरकारी तो न बनाया जाय, बल्कि यह रूप दिया जाय जिस से सरकार की देख रेख ठीक तरह से हो सके। हर किसी आदमी के लिये यतीमखाने के लिये छूट न रहे कि वह बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर करे। जो धन इकट्ठा होता है उस का ठीक इस्तेमाल हो, इस की देख रेख के लिए इस किस्म का एक आरगनाइजेशन बने। देश के अन्दर जो स्टेट्स हैं और सेंटर है, उन में एक ऐसा महकमा बने जो इन की देखभाल करे और यतीमखानों को ठीक तरीके पर चला सके। आइडियल तो यह ठीक है कि स्टेट्स की तरफ से ही वह

[श्री० रणवीर सिंह]

चलने चाहिये और हो सकता है कि देश के अन्दर जल्दी ही ऐसा वक्त आये जब कि देश तमाम यतीमखानों को अपने हाथ में ले सके। लेकिन जब तक वह वक्त नहीं आता है उस वक्त तक हमें लोगों की मदद की तरफ़ आँख रखनी है और उन पर ही निर्भर रहना चाहिये। जितना काम हो रहा है वह अच्छे ढंग से हो और कुछ ज्यादा अग्रर हो सकता है तो उमी से हम को अभी तसल्ली करनी होगी।

इसलिए मैं समझता हूँ कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और सिलैक्ट कमेटी इस बात पर गौर करे कि इस बिल को इस तरह से अमैज किया जाय कि उस के मुताबिक जो यतीमखाने हैं उन की कमेटियों का सुधार किया जाय और कमेटियों के ऊपर सरकारी निरीक्षक भेजने का इंतजाम किया जाय ताकि जितने यतीमखाने हैं उन का इंतजाम ठीक चल सके और सरकार भी कुछ सहायता दे, अग्रर ज्यादा नहीं दे सकती है तो थोड़ी ही दे।

मेरे बोलने से पहले बहन सुभद्रा जी ने मुझे एक बात सुझाई और कहा कि दूसरे क्रिस्म के भी कुछ अनाथ हैं जो इस हाउस में बैठते हैं और जब सेशन खत्म हो जाता है तो उन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

श्री० राम सुभग सिंह (शाहबाद—दक्षिण) : कौन है भाई ?

श्री० रणवीर सिंह : पार्लियामेंट के मੈम्बर हैं जिन को सेशन के बाद कोई दूसरा धन्धा नहीं है और रेल का पास भी नहीं है। और खास कर दिल्ली वाले दोस्त हैं जिन को इन्वार के लिये भी एक तरह से आरफन बनना पड़ता है। उन को कोई खर्चा पानी नहीं मिलता है। तो उन की संभाल भी होनी चाहिये।

(Interruptions). That is a temporary.....

Mr. Chairman: Order, order. This is not the occasion for a private talk.

May I remind the hon. Member that many other hon. Members are very anxious to speak. I would request him to conclude now.

श्री० रणवीर सिंह : सभापति महोदय, मैं आखिर में यही अपील करते हुए बैठता हूँ कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और इस अस्तित्कार के साथ किया जाय कि जो मैं ने सुझाव दिये हैं वह उस के अन्दर आ सकें।

Shri M. S. Gurupadaswamy: Sir, after all I have been able to get a chance.....

Mr. Chairman: The hon. Member is not entitled to cast any aspersions on the Chair. When I came here, his name was in the list. After all, he has been speaking on all important subjects. In fact, many hon. Members did not even get a chance to speak. He should take this in a sporting manner. There should not be any grievances on his part.

Shri M. S. Gurupadaswamy: The hon. Member, by bringing this Bill, has focussed the attention of the House on the problem of orphans and from that point of view, I congratulate him. The Bill has got many loopholes. It is not properly drafted. I would deal with its provisions later, but now I say that this debate has succeeded in drawing the attention of the House on an important problem facing the country.

The Bill proposes to bring all the orphanages in the country under the State. I do not find any reason for bringing them all under State control and management. We must be very serious when we talk of this problem. The problem is very stupendous and we do not know how many orphans are there in the country. I tried to find out the number of orphans who are in the country and who need protection. I went through the census figures but the information that I got was scratchy. I tried to find out whether the Government has collected any statistics regarding the various types of handicapped children, but I did not get any information and I was told that Government has not collected information. They have not made any survey. So we do not know how many orphans are

there in the country who need urgent protection. Government has not done this primary duty of collecting figures of orphans but anyway, I can say that the number of orphans runs into millions. We know how it was a stupendous job for us to tackle the problem of refugees who run into a few millions but the number of orphans is much more and the solution of the problem is still more complicated. Whenever we think of protecting the orphans, whenever we attempt to solve this problem, we must think of two or three important points. One is the financial responsibilities involved, another is the method of organising orphan institutions and the third problem is to secure proper personnel to run these institutions. I am connected with a few orphanages in my own State and I know their problems very intimately. The first problem is housing. It is very easy to collect orphans. Orphans come voluntarily and offer themselves. I have seen this. The problem is how to provide accommodation. Till today, neither the State Governments nor the philanthropic organisations have been able to cope up with this problem because the problem is so huge and gigantic in its proportions. There are not many houses or accommodation facilities available. We try to persuade some of the owners of vacant houses to give them temporarily. But, that does not provide a permanent solution. The problem of housing is very acute. We want to construct more houses; but again it comes to the question of money. Where to get money? I must acknowledge our gratitude to some of the philanthropic organisations run by private agencies. Of course, there are so many defects and loopholes in the management of the organisations. But, it is out of ignorance that such defects and loopholes have cropped up. They do not know how to organise these institutions. It requires a special staff altogether. It requires both men and women; especially more women. There is a great paucity of women trainers to take care of these children. However much we try to attract and persuade women and some of the women's social organisations, the response is not forthcoming. They do not come forward and offer their services. That is another difficulty.

The third difficulty is about finance. The State Governments are over-burdened by their own work and they are not able to grant money adequately. The Central Government's assistance is meagre. There is no programme or plan so far drawn up to pool all the resources and integrate local plans.

94 P.S.D.

Therefore, I find there is a lack of planned approach to this question also.

Shri Achuthan: Are you against the nationalisation of orphanages?

Shri Nambiar: It is already nationalised.

Shri M. S. Gurupadaswamy: I am not talking of nationalisation. I am only concerned with solving the problem. I am only explaining how difficulties have arisen and how we have not been able to tackle this problem effectively. The mere passing of a Resolution or a Bill like this will not help us to tackle this problem. It will not in any way satisfy the people and it will not take us one step further. What is required is an appreciation of the problem in all its aspects. That is very necessary. After appreciation, there must be a proper approach. The Government, both Central and State, should approach this problem in a practical way and they should give due priority to this problem.

I want to make another point in this connection. It is proposed to limit the operation of this Bill to only one category of orphans, that is, orphans who have no parents, children who have lost their mother or father. But there are other categories of children who are also helpless. I draw the attention of the House to the problem of mentally and physically crippled children. Their number runs into millions. In the Mysore State, I know there is a school for deaf and dumb children. Due to financial stringency and even more, the ignorance of the parents themselves, good work is not being done. The parents are poor; they cannot bring up their children. Moreover, they do not know how to train their children. The parents should be educated in this respect. That is very necessary. The responsibility of the parents is really great and it is as great as the responsibility of the State.

I know how these orphanages are conducted in Russia. Their method is different. All the orphan children who are crippled or non-crippled, will be taken charge of by the State agencies and they will be put in Children Welfare Houses. But, there is a difficulty even in Soviet Russia and they have failed to solve this difficulty. The mere aggregating of children in one place will have a crippling effect. As you know, children need great fostering care and there should be more intimate association between the children and the people who take care of the children. If children are brought

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

and huddled together in a particular place, it is very difficult to give attention to each individual case. Psychologists say that the age between five and ten is a very sensitive period and individual care is necessary in that period. If individual care is not bestowed, even though the crippled children may grow, even though we may educate and train them they grow as crippled children. The very purpose of training will be defeated. It is a very delicate responsibility, a very delicate task. The Soviet Government is facing this difficulty. They have huddled up all the children available in the country. They have put them in one place. After training these children, after making them to earn their livelihood, still they find that these children are far from satisfactory. They are far below the normal standard. The problem is to give individual care to these children.

Some of the western countries have tackled this problem to some extent; for example Denmark and Sweden. There, all the children are not brought together. They are not huddled up; they are not congregated in one place. On the other hand, they divide the children into small groups and leave them in orphanages in localities where there are family houses. All the families in that street or locality are requested to visit these orphanages and tender advice. They will be persuaded to send their children also for purposes of play to the orphanages so that there may be a mixing up of all children. This will provide a certain family atmosphere in the orphanages. To a certain extent, Denmark and Sweden have succeeded in their effort. But there also, there is a growing feeling that this requires very large personnel, a large army of trained staff. But, anyway the problem is being tackled in the right manner, and the same thing may be imitated here also.

There is another thing to which I want to draw your attention, i.e., in having these children spread out in various areas, we must bear in mind the psychology of the children. Children belonging to both the sexes will come, and the problems of children of one sex will not be the same as those of other sex. There also, some organizations in western countries have tried to draw up two different programmes for children. Here in India nothing of this kind has been done. What has been done so far by private agencies is not rational and scientific. However much we appreciate the donations and the help given by the philanthropists, we must observe that

they are often ineffective to tackle the problem. The purpose for which charity has been given has not been achieved so far. That is the reason why I say that it is the responsibility of the State to guide these philanthropic organizations and the various agencies which conducting these institutions for orphans, on proper lines and if possible I advise them to set up model orphanages on their own initiative. That will set an example to other orphanages. But I do not see whether we can achieve our purpose by taking over all the organizations under State control and State management. Of course, the hon. Member who has drafted the Bill has got a laudable objective. He may be thinking that by bringing all these organizations under State ownership and State control, we may be better able to serve the community of children. There he is mistaken. As I said it is very difficult and complex. Soviet Russia has not succeeded in that. We must bear that example in mind. No other country has also succeeded in having all the orphanages under direct State control. So, we must draw a lesson from the history of other nations, and we must draw also a lesson from our own experience. Therefore, I urge upon the Member not to press this Bill, but I rather want the hon. Minister to bring a new Bill, a model legislation.....

Shri Nambiar: That will never happen.

Shri M. S. Gurupadaswamy: ...which is not only comprehensive but can be worked in a practical way. If that assurance is forthcoming from the hon. Minister I think there is no necessity to press this Bill.

The Minister of Health (Rajkumari Amrit Kaur): I had not meant to speak this morning, but naturally, placed as I am, the physical, mental and spiritual welfare of the child is my very great concern, and I feel that all the speeches that have been made in the House this morning denote not so much anxiety for the Bill as it stands as that Government should do something for the protection of the child. I am happy to be able to say that my hon. colleague, the Minister for Education has prepared a Children's Bill which will be an all-embracing Bill, and which will give protection to the child, which the child has not up till now had, and therefore I was glad to hear from some of the women Members of Parliament who spoke that it is that kind of Bill that they wish should be brought forward.

After all, this Bill only caters for what are called orphan children. Now, a child may not have father and mother, but he may be cared for by relations, but there are hundreds of children, millions of children other than orphans who need just as much care. I am glad that voluntary organizations are seeing to these children. In the meantime, until the Government's own Bill—all-embracing Bill—for children comes in, I would bring to the notice of the Members of this House the fact that in the Planning Commission's Report Rs. four crores have been set aside for voluntary work. It is for the Members of this House, and especially for the women Members of this House and the women members outside in these voluntary organizations, to bring to the notice of Government those organizations that are working for child welfare, and I am quite sure that out of this money provided they will get money which will help them to expand their activities. After all, the actual care of the child, whether he be an orphan or whether he be maimed, blind, crippled or anything else, is morally the responsibility of the State, but I am not one that would like to take away from the voluntary organizations the power, the means and the urge that they have to work for children. I think that they can bring their activities to the notice of the Government, and they are the people who will be able to say which are the organizations that are working properly. There is the Indian Council of Child Welfare of which I have the privilege of being President, there is the Balkan-Ji-bari which is doing magnificent work all over India; there is the Ashok Vihar in Madras. There are many organizations in Bombay, in Calcutta and elsewhere that are working for children. We have to look upon this not from the narrow standpoint of just a Bill for what we call orphans, but in a comprehensive way. Government has got a children's Act ready, and therefore I feel that the Government will look after that side of the question. In the meantime, we should take advantage—full advantage—of the opportunities that the Planning Commission is offering us in this respect.

श्रीमती गंगा देवी (जिला लखनऊ व जिला बाराबंकी—रहित—अनुसूचित जातियाँ) : माननीय सभापति महोदय, मुझे आफेंजेज बिल पर बोलने के लिये जो समय दिया है उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देती हूँ।

इस बिल पर हमारे बहुत से भाइयों ने विचार प्रकट किये हैं और मेरे पास बहुत कहने के लिये नहीं है। फिर भी मैं आशा करती हूँ कि जो कुछ मैं कहूंगी उसको इस बिल में लाने का प्रयत्न किया जायेगा।

यह जो बिल आज हमारे सामने आया है यह हमारे राष्ट्र-निर्माण के काम में बहुत महत्व रखता है और आज हमें इस बिल की बड़ी आवश्यकता है। इसके विषय में मुझे सिर्फ यही कहना है कि हमारे देश में अनाथ बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या है। पता नहीं क्यों यहाँ पर यह संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इसका एक विशेष कारण मेरे खयाल से यह भी हो सकता है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा है। एक तरफ तो वे बच्चे हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं जो अनाथ हैं, दूसरी तरफ वे बच्चे हैं जिनके माता-पिता इतने अयोग्य हैं इतने गरीब हैं, इतने निर्धन हैं कि अपने बच्चों का पालन-पोषण जितनी अच्छी तरह से होना चाहिये उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। उनके पास कोई साधन नहीं हैं। इसलिये माता-पिता के होते हुए भी हमारे देश के कुछ बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वह अनाथ हों। इसलिये मेरा यही विचार है कि जहाँ देश में बहुत से अनाथालयों का और, बहुत से अनाथाश्रमों का प्रबन्ध हो वहाँ ऐसे बच्चों के लिये भी, जिनके माँ-बाप उनका पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, उनको ठीक से कपड़ा और रीटी नहीं दे सकते, ठीक से उनका इन्तिजाम नहीं कर सकते, इन्तिजाम होना चाहिए।

इसके अलावा दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे देश में बहुत से अनाथाश्रम हैं जिनमें जनता का पैसा आता है, बहुत से बड़े बड़े धनी सेठ उनमें काफी पैसा देते हैं, इस विचार से कि वहाँ पर हमारे देश के अनाथ बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो

[श्रीमती गंगा देवी]

सके, उनकी शिक्षा-दीक्षा हो सके। लेकिन वहाँ पर अनाथ बच्चों की आड़ में उन पैसों का दुरुपयोग होता है। वहाँ के जो प्रबन्धक हैं वे उस पैसे को अपने निजी कामों में खर्च करते हैं और जहाँ पर उस पैसे का उपयोग होना चाहिए वहाँ पर ठीक तरह से नहीं होता। मुझ से पहले वक्ताओं ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला था और कहा था कि ऐसी संस्थाओं की देख रेख अब सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। मैं भी यही स्थाल करती हूँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए और जो धन जनता से दान के रूप में आता है उसका कुछ हिसाब होना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से खर्च में लाना चाहिए जिससे कि जो रुपया जहाँ ठीक से खर्च होना है उसे वहीं खर्च किया जाय। मैंने देखा है कि बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं कि जहाँ पर काफी रुपया आता है लेकिन फिर भी वहाँ के बच्चे अनाथ कहे जाते हैं और उनको ठीक से कपड़ा नहीं मिलता उनको पढ़ने के साधन नहीं जुट सकते, उनको पढ़ने की सामग्री ठीक से नहीं दी जाती और उनको खाने के लिये दरवाजे दरवाजे भिक्षा मांगने भेजा जाता है। यह देखने में अच्छा नहीं लगता। यह सौभाग्य की चीज नहीं है। इसलिये सरकार को चाहिए कि एक ऐसा बोर्ड नियुक्त करे, एक ऐसी कमेटी बनावे जो कि ऐसी संस्थाओं का इन्तजाम करे और उस रुपये का सदुपयोग हो और यदि वहाँ पर जरूरत हो और जरूरत तो जरूर ही होगी क्योंकि उतने पैसे से अनाथाश्रमों का काम नहीं चल सकेगा, तो सरकार भी ऐसे अनाथाश्रमों को कुछ मदद दे जिससे कि ऐसा हो सके कि वहाँ के बच्चे अच्छे तरीके से शिक्षा पा सकें। तीसरी चीज मुझे यह कहनी है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है वह इस प्रकार

की नहीं दी जाती जिससे कि वह अपने को अनाथ न समझें। उनको इस दृष्टि से शिक्षा दी जाती है कि वह अपने को अनाथ समझते हैं। उनके लिये उतना इन्तजाम नहीं हो सकता और वह शिक्षा उनके जीवन में किसी काम की नहीं होती। वह शिक्षा इस तरीके की नहीं होती कि वह अपना भावी जीवन उस पर निर्भर कर सकें। किसी लाइन में जा सकें। किसी प्रोफेशन को कर सकें या किसी सरविस में आ सकें। उनकी जो शिक्षा होती है वह अशूरी होती है। वह कहीं के भी नहीं रहते। मजदूरी करने लायक भी नहीं रहते और किसी नौकरी में आने लायक भी नहीं रहते। इसलिये उनको इस दृष्टि से शिक्षा नहीं देनी चाहिये कि वह अनाथ हैं लेकिन उसी प्रकार से देनी चाहिए जिस तरीके से और लड़कों को जो कि होस्टल्स में रहते हैं दी जाती है, और जिनका काम उनके माता-पिता की तरफ से चलता है। उसी तरीके से राष्ट्र की तरफ से अनाथ बच्चों का भी इन्तजाम होना चाहिए और उनका रहन-सहन भी इस तरह का हो जाना चाहिए कि वह इस चीज को बिल्कुल ही भूल जाय कि हम अनाथ हैं और हमारे माता-पिता नहीं हैं। दूसरे लोगों को उनके सिर पर इसी तरीके से हाथ रखना चाहिए कि उनके मानसिक विकास में रुकावट न हो। हम उनको अनाथ कहते रहते हैं। इसलिए जो उनके विचार होते हैं वह बिल्कुल दब जाते हैं और उनका मानसिक विकास होने नहीं पाता और वह दबे हुए रहते हैं और

12 NOON

वह अच्छे तरीके से अपनी तरक्की भी नहीं कर सकते। जो बच्चे उन्नति कर सकते हैं उनका भी मानसिक विकास रुक जाता है। अभी श्रीमती नेहरू ने भी कहा था कि उनको अनाथ क्यों कहा जाय। अनाथ नाम ही को हटा दिया जाना चाहिए। मैं भी इस चीज

पर जोर देती हूँ कि इन संस्थाओं का नाम अनाथालय क्यों रखा जाय, क्यों न कुछ और नाम रख दिया जाय। हम बहुत से नाम दे सकते हैं। इन संस्थाओं का नाम अनाथालय रख कर हम उनमें रहने वालों बच्चों के मार्ग में एक बहुत भारी रोड़ा रख देते हैं। इसलिये इन संस्थाओं से अनाथालय नाम को बिल्कुल मिटा देना चाहिए क्योंकि इससे उनके दिमाग में यह चीज रहती है कि हम अनाथ हैं। जिन बच्चों ने अपने माता-पिता को देखा तक नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि वह कैसे थे, कौन थे, किस कम्युनिटी के थे, उनका क्या नाम था उनको हम अनाथ कहते हैं। जो भी उनके सिर पर हाथ रखेगा उनका गारजियन बन सकता है। उनको प्रेम भाव देकर हम उनको अपना ले सकते हैं।

अभी हमारे एक भाई ने कहा था कि उन्होंने देखा है कि उत्तर प्रदेश की स्त्रियों के भ्रन्दर सेवा भाव नहीं है। इस चीज को सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैं सोचती हूँ कि उन्होंने कभी अपने देश की स्त्रियों के सम्पर्क में रह कर कोई सेवा कार्य नहीं किया है। केवल एक दो उदाहरणों को देख कर वह यह नहीं कह सकते कि हमारे उत्तर प्रदेश की स्त्रियों में सेवाभाव नहीं है। आखिर वह भी तो उत्तर प्रदेश के हैं। वह भी तो किसी माता के सम्पर्क में रह कर किसी माता की सेवा से ही आज यहां पर आने के योग्य हुए हैं। इसलिये उन को यह बात नहीं कहनी चाहिये। मुझे इस पर दुःख है।

दूसरी चीज यह है कि यदि हमारे उत्तर प्रदेश की स्त्रियां ज्यादा सेवा कार्य नहीं कर सकती हैं, तो क्यों नहीं कर सकती? वह इसी लिए कि हमारे समाज में इतनी रूकावटें हैं, इतनी रोकथाम है, कि हम लोग इच्छा रखते हुए भी बाहर जाकर क्षेत्र में काम नहीं कर सकती हैं। यह आप ही लोगों की पैदा

की हुई रूकावटें हैं। आज अगर हम जाकर किसी सेवा कार्य की करती हैं, किसी रोगी की सेवा करती हैं, मान लो कि कोई नवयुवक जन्मी है और आज हम उस की सेवा करती हैं, किसी उच्च भावना से लेकिन आप ही भाई आ कर हम से कहते हैं कि यह आपने क्या किया। यह आप को नहीं करना चाहिये था। आप को एक पुरुष को हाथ नहीं लगाना चाहिये था। तो कहां से हमारे भ्रन्दर सेवा भाव आवे? जब कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी रूकावटें हैं। मैं इस बिल के सिलसिले में यह बातें नहीं कहना चाहती थी लेकिन उन्होंने स्त्रियों के बारे में यह बात कही इसलिए मुझे यह कहना पड़ा।

इस बिल के सम्बन्ध में आगे मुझे यह कहना है कि ऐसे ऐसे बिल लाकर ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और जो गिरी हुई जनता है उस को समानता का स्थान दे सकते हैं। बहुत से गरीब और अनाथ बच्चे पिछड़े हुए रह जाते हैं क्योंकि उन के पास आगे उन्नति करने का पूरा-पूरा साधन नहीं होता इसलिए यदि सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी और पूरे गौर के साथ पास करेगी तो हमारे देश की यह तकलीफ बहुत जल्द दूर हो सकती है।

इस के अलावा हमारे देश में स्त्रियों के लिए ऐसी संस्थाओं की भी जरूरत है जहां पर ऐसी स्त्रियां रह सकें जिन का कहीं भी स्थान नहीं है और जिन का कहीं भी कोई आश्रय नहीं है, जिधर जाती हैं उधर ही उन को सब दुतकारने वाले आ जाते हैं। इस देश में ऐसी स्त्रियां बहुत हैं।

स्त्री यदि विधवा हो जाती है तो उस के लिये अपना कोई स्थान नहीं रह जाता। उस के लिये समाज में कोई स्थान नहीं रहता है। ऐसी स्त्रियों के लिए विधवा आश्रम खोले गये हैं, लेकिन उन का जो प्रबन्ध है वह ठीक

[श्रीमती गंगा देवी]

नहीं है। इस के लिये पहले बहुत कहा जा चुका है। लेकिन मैं भी थोड़ा सा कहना जरूरी समझती हूँ। इस में जो कुछ इन्तजाम करने वाले हैं, उन के जो प्रबन्धक हैं वे ठीक-ठीक इन्तजाम नहीं करते हैं। विधवा-आश्रम और विधवा-निवास कह कर वहाँ पर विधवाओं को रखा जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसी स्त्रियों को वहाँ पर शुरू से ही तालीम देना और शिक्षा देने का इन्तजाम होना चाहिये। सरकार को इस में काफी सहयोग देना चाहिये, ध्यान देना चाहिये। हमारे बजट में आज और-और बहुत से कार्यों के लिए रुपया निकल जाता है, धन खर्च किया जाता है मगर ऐसे आश्रमों की ओर धन नहीं दिया जाता। मैं सोचती हूँ कि ऐसे आश्रमों के लिए, ऐसी विधवा बहनों के लिये सरकार को खास तौर से अच्छी रकम देनी चाहिये जिससे कि उन के इन्तजाम में कोई खराबी नहीं आ सके। वहाँ पर अच्छे प्रबन्धक हों, उन को अच्छा वेतन दिया जाय। अच्छा वेतन देने से कोई खराबी पैदा नहीं होगी। अभी बाहर से जो धन आता है उस को वे लोग हड़प जाते हैं और वहाँ की स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा का कोई इन्तजाम नहीं हो पाता है। इसलिये जो उनके प्रबन्धक हों, वे अच्छे सच्चरित्र और विश्वासपात्र होने चाहियें और ऐसे आदमी होने चाहियें जो किसी बोर्ड से या किसी इसी प्रकार की संस्था से नियुक्त किये हुए हों। यह नहीं हो कि आपस में चुन कर रख लिये जायँ और संयोजक बना दिये जायँ, कोषाध्यक्ष बना दिये जायँ और फिर मनमाने तौर पर जैसी उनकी इच्छा हो वैसे करते रहें। ऐसे प्रबन्धकों को रख कर हमें देश में दुराचार पैदा नहीं करना है।

इसलिये सरकार यदि ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध अपने आप नहीं कर सकती है तो मैं यहीं कहूँगी कि ऐसे विधवा आश्रम जो

बहुत बुरी हालत में चल रहे हैं उन को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये। उन को आगे चलने से रोक देना चाहिये, क्योंकि ऐसी जो संस्थाएँ हैं वहाँ आज बड़े बड़े दुराचार हो रहे हैं। मैं ने लखनऊ में एक विधवा आश्रम को देखा। वहाँ मैं ने देखा कि जो प्रबन्धक है उन्होंने ने हमारी विधवा बहनों को कहां से कहां पहुंचा दिया और उन के ऊपर बहुत सा रुपया ख़ाया। तो क्या इस तरह के प्रबन्धक रखने से हमारे देश की हालत सुधर सकती है या समाज की तरक्की हो सकती है? मैं सोचती हूँ कि ऐसे विधवा आश्रम नहीं होने चाहिये। उन की जगह छोटे-छोटे स्कूल और हास्पिटल होने चाहिये जहाँ पर स्त्रियाँ मैंनेजर हों, स्त्रियाँ सुपरिटेण्डेंट हों और अच्छी क्वालीफाइड हों और उनको अच्छी रकम दी जाय। जैसे कि प्रोफेसर्स को और प्रिंसिपल्स वगैरह को जो वेतन दिया जाता है वह उन को देना चाहिये जिससे कि वे बिल्कुल नियमानुसार वहाँ का कार्य चला सकें।

अन्त में मैं अधिक न कह कर सिर्फ यही अनुरोध सरकार से करना चाहती हूँ कि वह ऐसी समस्याओं का विस्तृत रूप से अध्ययन करे और उन्हें सुलझाने के लिये विशेष ध्यान दे। इसके साथ-साथ अन्य मान्यनीय सदस्यों से भी प्रार्थना करती हूँ कि वे ऐसे बिलों को पास करने में पूरा-पूरा सहयोग दें। और मैं इस बिल का हृदय से समर्थन ही नहीं करती अपितु यह चाहती हूँ कि यह शीघ्र ही सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

Shri S. V. L. Narasimham (Guntur): I believe that it is the fundamental duty of every civilised State to take care of children, to educate them and to prepare them for the future life so that they will play their rightful part in the affairs of the nation and in the comity of nations. Our Constitution itself by virtue of article 45 imposes an obligation on the State that the State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the

commencement of the Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years. More than three years have elapsed from the commencement of the Constitution. I ask the Government what steps have been taken by them to implement the spirit of article 45 of the Constitution? So I believe that this Bill shall serve as a constant reminder to the Government of the obligation that it owes to the nation in this respect.

Here, naturally we are confronted with the question, as to how far we have to depend on private enterprise. I pay my humble tribute to all those institutions in the country who have been rendering yeoman service in the cause of these orphanages taking care of children. I do realise the importance of such institutions. In fact the Planning Commission in its recommendations has suggested that these private organisations would take care of these orphanages and work them, and they wished that the State would maintain a sort of control of these institutions by registering them and supervising them. But the vastness of the problem is such and the resources of private institutions are so limited, that I fear that any amount of private enterprise, however laudable however sincere it may be, will not be able to meet the requirements of the situation. As such, it is certainly the duty of the State while encouraging the institutions which are engaging themselves in this magnificent social work, also to have organisations themselves through Government agency in all areas where there are no private institutions to take up this question of orphanages. As such, while retaining these institutions, the State shall not divest themselves of the responsibility.....

Shri R. K. Chaudhuri: On a point of information, Sir. I want a clarification from the Chair. This Bill I think, offends against sub-section (3) of article 117.

Mr. Chairman: The hon. Member probably was not here when this point was raised and the Deputy-Speaker overruled it.

Shri S. V. L. Narasimham: So the next question will be, naturally, the question of funds: have we got sufficient funds on behalf of the State for this purpose? I would submit we cannot forget that the child of today shall be the citizen of the morrow. As such, absence of funds or the fact of private institutions rendering this

service should never let the Government divest themselves of their responsibility to the nation in this respect.

In the light of these suggestions, I trust the Bill will be amended in the Select Committee, and I entirely offer my support to the principle of the Bill.

Shri R. K. Chaudhuri: Did I understand you to say, Sir, that this point was raised when I was not here?

Mr. Chairman: Of course.

श्री बी० आर० वर्मा (जिला हरदोई—उत्तर पश्चिम व जिला फर्रुखाबाद—पूर्व व जिला शाहजहांपुर—दक्षिण—रक्षित—अनुसूचित जातियाँ) : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं श्री एम० एल० द्विवेदी के बिल का समर्थन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हर देश के बच्चे ही अमुक देश के भावी निर्माता होते हैं, हर देश के बच्चे ही अमुक देश की भावी सैनिक शक्ति होते हैं, हर देश के बच्चे ही अमुक देश के चरित्र निर्माता होते हैं, हर देश के बच्चे ही अमुक देश के भावी कुशल कारीगर होते हैं और हर देश के बच्चे ही अमुक देश की भावी नीति के निर्धारक तथा शासनाधिकारी होते हैं। इसीलिये हर देश के कुशल संचालक देश के बच्चों के स्वास्थ्य तथा उन की शिक्षा और उनके चरित्र के प्रति विशेष रूप से उत्तरदायी और सतर्क रहते हैं। किन्तु, चेयरमैन महोदय, भारत जैसे महान् देश में हम देखते हैं कि हजारों अनाथ बच्चे समाज के भय तथा अपवाद के डर से कूड़ाखाने में फेंक दिए जाते हैं और हजारों माता पिता विहीन अनाथ बच्चे या तो भीख मांगते हैं या दूसरों के जानवर चराते हैं या दूसरों की घास छीलते हैं, या दूसरों की चारपाई बिछाते हैं, या भूक की ज्वाला शान्त करने के लिये झूठे बरतन मलते हैं और पैसे वालों के बच्चे खेलते हैं। जहाँ एक ओर सन्तान उत्पत्ति के लिये तरह-तरह की दवाइयाँ लोग खाते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं और

[श्री बी० आर० वर्मा]

साधु सन्यासी के पैर तक दबाते हैं, वहाँ दूसरी ओर लाखों दुधमुँहे बच्चे अनाथ बन कर दर-दर भीख मांगते फिरते हैं। यह है इस देश तथा समाज का न्याय। बच्चे अपने हों या पराये सभी के साथ सहानुभूति तथा प्रेम रखना मनुष्य धर्म है। अगर हम अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता नहीं हैं अपने बच्चे समझ कर उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें तो हमारे लाखों बच्चे जो पर्याप्त संरक्षण न मिलने पर बर्बाद हो जाते हैं अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

इसलिए समाज को चाहिए कि इन लाखों रत्नों को सम्हाल कर रखे। वरना यह लाल दूसरों के हाथ में चले जायेंगे और दूसरों के हाथ में जाकर हमारे राष्ट्र के लिए और समाज के लिए कुल्हाड़े का काम करेंगे। अभी कई एक पूर्व-वक्ताओं ने विधवा आश्रम खोलने के लिए और उनमें विधवाओं को रखने के लिए जिक्र किया। मैं इन विधवा आश्रमों के खोलने का सख्त विरोधी हूँ क्योंकि विधवा आश्रम प्रायः सभी व्यभिचार के अड्डे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी समाज की लड़कियाँ विधवा होकर अपने पिता के घर में भयानक-पूर्वक न रह कर विधवा आश्रमों में रक्खी जायं। ऐसा समाज, जिसकी बहू बेटियाँ व्यभिचार के अखाड़ों में रक्खी जायें कब तक जिन्दा रह सकती हैं? इसलिए मेरे विचार से इस हालत में सरकार को विधवाओं के लिए अनाथालय और विधवा आश्रम इत्यादि खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोई ऐसा बिल अथवा, विधेयक लाया जाय कि जिससे विधवाएँ सघवा हो सकें। अकेले सिर्फ हमारे देश में ही विधवा आश्रम हैं और कहीं नहीं हैं। इसलिए हम विधवाओं का विवाह करने की रीति प्रचलित करें ताकि देश व समाज का कल्याण हो सके। अनाथालय

जो बच्चों के खोले जायें, उनमें बच्चों का पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि उन आश्रमों में बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इन्तजाम हो, बच्चों को गृह-उद्योगों की ट्रेनिंग भी दी जाय ताकि बच्चे उन अनाथालयों से निकल कर उन आश्रमों से निकल कर हमारे देश के कुशल नागरिक बन सकें। और अपनी जीविका स्वयं कमा सकें।

जहाँ तक इन अनाथालयों के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि उनका प्रबन्ध स्त्रियों के हाथ में दिया जाय। मैं भी यही चाहता हूँ कि अनाथालयों का प्रबन्ध स्त्रियों के हाथ में हो, तो वहाँ के बच्चे अच्छी तरह से रह सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि मैं विधेयक से पूर्णरूप से सहमत हूँ और सरकार द्वारा जल्द से जल्द इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसको पास किया जाय।

Shri Veeraswamy (Mayuram—Reserved—Sch. Castes): At the outset I congratulate the hon. Mr. Dwivedi for having brought this Bill for consideration of this House. I am certain that there will be not even one hon. Member who will be opposed to the principles of this Bill and to the Bill, as a whole. I hope and trust that the Government will accept this Bill and bring in a fresh Bill embracing the principle of this Bill so that they will take up the case of the orphans and other destitute children. I do not agree with the term 'orphanage'. Even though the parents have died and the children are parentless, there is the State to look after the children and to look after everybody in this country and so we may say that the institutions that may be started or that have been in existence in our country to look after the orphans may be called the 'Parentless Children's Institutions' but not orphanages. The term "Orphans" means in Tamil 'Anadhakal'; that is, there is no one to look after them, to give them any help whatsoever. But, when there is the State which could be described fittingly as the real and permanent

parent of all the children of a country, why should the children be called orphans? So, I suggest that the term 'orphanage' should be removed and the institutions may be called 'Parentless Children's Homes'.

In our country, for the past so many centuries, the problem of the beggars has been very acute and even today our brothers and sisters have been roaming about in this country without any shelter to live in or without food to eat and without clothing to wear and they are living on the streets and roads. If a Government is not able to provide their citizens with the elementary necessities of life like shelter, clothing and food and other things, how can it be called a Government at all? How can this country be called a Nation and its Government a National Government? The beggar problem has to be solved. Even in 1497, in Germany, the beggar problem was dealt with and we all know that in the Elizabethan age in Britain, this problem was dealt with effectively and solved. Why should not we? Are we incapable of doing such good things in our country? Why not we solve this beggar problem? Do not the Ministers see the beggars on the streets without any food, without any clothing or without any shelter to live in?

Shri Nambiar: The Minister in charge of beggars is not here.

Shri Veeraswamy: It is really a pity this Government have not even thought of handling this problem even after six years of Independence; and it is up to the hon. Minister to take up this question and solve it at an early date. If the orphans are brought up in well managed institutions, they will become good citizens of this country. For instance, I will show this picture to the hon. Minister and the hon. Members. This boy Shankar from a Boys' Home, Madras, has been adopted by the Naval Force. The Government of India have agreed to meet a portion of the expenditure on him. If this boy remained as an orphan, he could not be so beautiful as he now appears to be. Our Prime Minister in the Shanker's Weekly Prize Distribution Ceremony said:

"I am so happy to see that no competitor present goes away with empty hands; but, I regret very much that there are so many children in this country and throughout the world who go about with empty hands even for the bare necessities of life."

Why should the children of our country go without the necessities of life? Is not the State capable of meeting the needs of the children who are parentless and who have nobody to look after them? Is it not a shame for a national Government to see children going about from door to door, begging for a morsel of food, or for a rag, or for a shelter for the night? Sometimes children are kidnapped and maimed and exhibited in the public to attract the sympathy of the public. People live on such children. This should be stopped. In Trichinopoly I have heard that children were sold for one rupee or two rupees. It happens in many other parts of South India also, because the parents are unable to maintain their children feed them and clothe them.

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri M. V. Krishnappa): How many children have you purchased?

Shri Veeraswamy: It is not I but others. I suggest that a Commission should be appointed by the Central Government to go into this question. We want the democracy we have established to thrive, but it cannot thrive without good citizenship and how can good citizenship be developed if we cannot take care of the parentless children? They will also have the right to vote; the right to choose their leaders and Ministers; and hence, it is the duty of the State to see that these children are brought up in a good atmosphere and are given training to become full-fledged citizens. The Commission I have suggested should suggest ways and means of tackling this problem effectively and early.

I suggest that beggar relief centres should be opened throughout the country. There are one or two in the State of Madras. I do not know about other States. We have one in Madura and one in Ootacamund, but just these two institutions are able to help only a few people in their rehabilitation. Finance is an important problem. I suggest that we need not fear about finance. Every year, the Central Government derives a revenue of Rs. 400 crores. Why could it not allot a sum of rupees ten crores for the amelioration of the conditions of the orphans and beggars? We may also approach the big merchants, traders, industrialists and capitalists for donations to a Central fund. The States also should be urged to start a similar fund. Last but not the least, I would suggest that Members of Parliament, Members of the States Legislatures and members of other

[Shri Veeraswamy]

public bodies should come forward and contribute one day's allowance every month. We Members of Parliament claim to be the representatives of the people; we say that we are interested in the welfare of the backward classes. Therefore, I suggest that we part with at least a day's allowance for a noble and humanitarian cause like this.

Shri Nambiar: That should include Ministers also.

Shri Veeraswamy: Certainly.

Dr. S. N. Sinha (Saran East): One of the most serious charges which may be brought against our society and to a certain extent against the Government, is the miserable condition of the orphans in our country. In our cities, towns, railway junctions and stations and even in our villages we find a long queue of children who are desolate, desperate, without any clothes, very often dirty, filthy, hungry and starving, just skeleton and bones. If you try to look straight into their eyes, they seem to be asking you a question: why are we suffering in this way; why are we being punished?

Really, for what crime do we punish these children? It is not the children who are to be blamed. It is the society, it is the Government which is to be blamed. You may say that the country was under foreign rule for a long time and these are the remnants of alien rule, but such reasoning does not solve the problem. It is no satisfaction at all to argue like that, because the problem remains. Wherever you look, you find children starving and miserable. It is not only in our country that we have such a problem. Such problems arise whenever there is an extraordinary situation in the country. I would mention the Kashmir fighting, the partition and also the troubles in Telengana. When such things happen and there is a disturbance, either internal or external, a large number of children become orphans. They are in despair. They have to exist somehow or other. This has been so in many other countries.

I know of one country, Russia, and about one man who has done some scientific work and who is unique in the history of child welfare, namely Maxim Gorky. On his return to the Soviet Union after a long absence, he found that thousands of children used to commit murder and there was no future for them. It was a great

problem for the Soviet Union to tackle this situation. How to tackle this problem was the question before them.

In order to realise the situation as it existed then in that country let us go into a little detail. In Russia it seemed as if the earth itself was moaning in the song which the orphans used to sing. It was a song which became famous afterwards. The song in Russian is:

"Umru, Umru, Umru Ya,

A Nekto Ne Usnaet Gde Mogilka
Moya."

It means: I am dying, I am dying, I will be buried; and nobody will know where my grave will be. Further on the song goes on: only in spring when the northern birds will come, they may have some rest on our graveyards.

That was the song of the children there. If we look at our country we will not find even the graveyards. There are hundreds of thousands of children that are washed away by the Ganges, the Godavari and several other rivers far far away to the seas. No trace is left behind.

Nobody has studied the question of orphans as yet in our country either scientifically or unscientifically. This question is a most important one in our social life. We cannot deal with it lightly. It will be a crime.

Now let us see how other countries have tackled this question, how they have proceeded, because mere sentimentalism will not take us anywhere. You have to find a scientific approach to the whole problem.

When we throw a glance towards so many countries my eyes again go back to Russia, because it was the first country which studied this question scientifically. When Gorky insisted, a few houses were built there which were called *Bezprizornyy* houses. One of the famous houses was in Kharkov in Ukraine. I had an opportunity of living there for six or seven months to study the problem. I will not go into much detail. But I will tell you, in short, the studies which were made at that time of those *Bezprizornies* of immense value to the whole world, and also to our country.

In that school the Soviet Government got encouragement. They saw a new life there. What was the change? Those small children which

were a burden to society became socially useful afterwards. Once their energies were directed to the right channel they performed wonders. Gorky used to say: "There is no word like 'impossible' or 'unachievable' in the dictionary of the one-time orphans." The Soviet Government saw that anything could be achieved. And there were many impossibilities. One of them was the White Sea Baltic Canal Project. During the time of the Czars also it was thought impossible that such a canal could be built. It was due to many difficulties. From the point of view of engineering it was suitable. But due to the climatic conditions it was considered impossible. Therefore Gorky said, "We accept the challenge of nature. Although the cold is forty degrees below zero my boys will work there." They did work—children and in scheduled time that canal was built.

But it is not the history of the canal which is of interest to us: it is the history of those children who have written their autobiographies afterwards. They are published in six volumes, and Gorky himself has edited them. No country today which wants to make a scientific approach to this question can ignore these volumes. Without reading them you will be simply wandering in darkness.

When once these children became socially useful, they showed their worth in several other fields as well. Individually also they proved that there is no height attained by man which one who has been an orphan cannot attain, or there is no lead which he cannot give to society for its further progress. I was referring to some literature because it is important and I would recommend to Members of this House to go through that literature to see in what way other countries have tried to solve this problem.

In this connection I would refer to one book by Avdenko. It is called "I love". It is his own biography. That book deals with how, when he was an orphan, hated society. How he loved life. And afterwards when he went to the Gorky school what changes came into his life, and how happy his life became.

Any society where there are a large number of children who suffer in such a brutal way, is a society not worth living in I would say. It has no right to call itself civilized. Because, it is not the crime of the children that they suffer, it is the crime of the so-

ciety. Government also is to be blamed to a certain extent for that.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

Coming back to India, we find, that in our country no work has been done as yet in this respect. We have to make a beginning. And it is a very good thing that our friend Mr. Dwivedi has brought this Bill before this House. We need a greater Gorky in our country than what the Soviet Union had in order to solve this problem, and we hope that our friend Mr. Dwivedi will one day become a great Gorky.

I am aware that I have another couple of minutes. The subject is so important. I would conclude now with a few more words, and next time when this subject comes up again I would like to speak in detail. Because I had only a few minutes I could not elaborate my points. It is not such a thing that you can touch and go. It is a thing which you have to thrash and thrash again to see what is the right path.

So in the one minute left I would make this suggestion that the Bill should be circulated to the several organisations, to the States, to the Universities, to orphanages, to Members of the House, to educationists and to all those who are interested in this subject in order to have their views. And next session when the Bill comes again before the House we will be ready to explore further possibilities about it. If the Government Bill also comes, it will not make this Bill superfluous, because there is so much to do. We will try to find out what the Government has to do but before that we should know exactly what we want to achieve. The magnitude of the problem is such that one Bill will not be sufficient. Perhaps.....

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must resume his seat. He may continue later on if the Bill is not withdrawn.

MESSAGE FROM THE COUNCIL OF STATES

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of the Council of States:

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I am directed to return herewith the following Bills which were passed by the House of the People at its sitting held